

# परिवहन विशेष

03 शनि और भैरव, दो अदृश्य शक्तियाँ

06 ...डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता

08 यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे पर स्वास्थ्य एवं कानूनी जागरूकता गतिविधियों का आयोजन

## दिल्ली में तीन-पहियाई-ऑटो के पंजीकरण पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कोई "रोक" नहीं जाने पूरा सच तथ्यों और सबूतों के साथ



संजय बाटला

दिल्ली में ई-वाहन (ईवी) और तीन-पहियाई ऑटो के पंजीकरण पर वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय की कोई अलग से सामान्य "रोक" नहीं लगी हुई है, लेकिन 3-सीटर ऑटो (टीएसआर) को कुल संख्या पर जो 1 लाख का कैप है दिल्ली परिवहन विभाग और दिल्ली सरकार द्वारा निति - दस्तावेजों में ई-ऑटो पर भी लागू माना है।

ई-वाहन के पंजीकरण पर रोक? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई आदेश दिए हैं, जैसे पुराने पेट्रोल/डीजल वाहनों पर प्रतिबंध, 2000cc से ऊपर डीजल कारों की रजिस्ट्रेशन पर रोक लेकिन इन आदेशों में इलेक्ट्रिक वाहनों की रजिस्ट्रेशन पर कोई अलग से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

हाल के आदेशों में तो केवल सीएनजी/एलएनजी/ईवी जैसे कम या शून्य उत्सर्जन वाले वाहनों को प्रोत्साहित करने की दिशा दिखाई गई है, जैसे 2025 से दिल्ली में आने वाले मालवाहक वाहनों के लिए बीएस VI, सीएनजी/एलएनजी/ईवी की अनिवार्यता का उल्लेख है।

1 लाख 3-सीटर ऑटो की सीमा क्या है? नवंबर 2011 के आदेश में सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में तीन-सीटर ऑटो-रिक्शा (टीएसआर) की संख्या अधिकतम 1,00,000 पर सीमित की थी, जो मूल रूप से पुराने प्रदूषणकारी (दो-स्ट्रोक, पेट्रोल/डीजल) वाहनों को हटकर सीएनजी ऑटो लाने के संदर्भ में किया गया था।

2024 में बाजार ऑटो की याचिका पर सुनवाई के दौरान भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस 1 लाख की सीमा को हटाने से इंकार कर दिया और कहा कि

यह सीमा पर्यावरण और ट्रैफिक जाम दोनों को देखते हुए रखी गई है और किसी वाहन निर्माता को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं हटाई जाएगी।

क्या यह सीमा ई-ऑटो तीन पहिया, तीन सवारी पर भी लागू है? दिल्ली की 2020 ईवी पॉलिसी के आधिकारिक दस्तावेज में स्पष्ट रूप से लिखा है कि "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस मामले में आगे के आदेशों तक, ई-ऑटो के लिए 'ओपन परमिट सिस्टम' भी अधिकतम वाहनों की संख्या पर लगाई गई कैप के अधीन रहेगा।" अर्थात् ई-ऑटो को भी उसी कुल सीमा के भीतर गिने जाने के पीछे परिवहन विभाग दिल्ली मुख्य कारक है जो नहीं चाहता था की दिल्ली में ई आटो आकर दिल्ली की जनता को सुरक्षित समयानुसार सार्वजनिक सवारी सेवा उपलब्ध करवाने में मददगार बने और प्रदूषण में भी कमी आए।

सुप्रीम कोर्ट में 2021 की सुनवाई में दिल्ली सरकार ने भी दलील दी थी कि 1 लाख की सीमा केवल सीएनजी ऑटो तक सीमित नहीं है; भीड़-भाड़ (कंजेशन) के कारण, जीरो-एमिशन ई-ऑटो भी कुल 1 लाख से ऊपर नहीं जाने चाहिए, और अदालत ने 4,261 ई-ऑटो के परमिट के विज्ञापन को इसी संदर्भ में वैध माना था अर्थात् दिल्ली सरकार भी दिल्ली परिवहन विभाग की ही बोली बोल रही है।

दिल्ली में किसी भी श्रेणी के सभी ई-वाहनों पर एक सामान्य, व्यापक पंजीकरण-प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं लगाया है, बल्कि ईवी को आम तौर पर प्रोत्साहन की श्रेणी में रखा है।

दिल्ली परिवहन विभाग की अपनी इच्छा से बनाई गई नीति के कारण तीन-पहिया, तीन-सवारी ऑटो-रिक्शा के लिए जो 1,00,000 की अधिकतम संख्या (कैप) सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों से लागू है, उसे नीति में ई-ऑटो तीन-पहिया, तीन-सवारी पर भी लागू माना गया है; यानी ई-ऑटो अलग से इस कैप से मुक्त नहीं है, बल्कि कुल 1 लाख टीएसआर की सीमा के भीतर ही गिने जाते हैं।

आपकी जानकारी हेतु बता दें सीएनजी और उससे पहले ईपीसीए का रुख भी आज के समय में खुले तौर पर यह रहा है कि कैप को हटाने या बदलने पर विचार किया जा सकता है, लेकिन शर्त यह है कि इससे सार्वजनिक परिवहन मजबूत हो, भीड़ न बढ़े और प्रदूषण घटे, खासकर ई-वाहनों को बढ़ावा देकर।

ईपीसीए/सीएनजी ने क्या सुझाया है? 2019 में ईपीसीए जिसकी जगह अब सीएनजीएम ने ले ली है ने भी सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देकर कहा था कि ऑटो की संख्या पर लगा कैप हटाने से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फर्स्ट-लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और इससे निजी गाड़ियों पर निर्भरता तथा प्रदूषण दोनों कम हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि कैप के कारण परमिट का ऑटोफिशियल कमी बनती है, जिससे ऑटो का वास्तविक लागत 2-2.5 गुना तक बढ़ जाती है और ड्राइवर्स पर आर्थिक बोझ पड़ता है, इसलिए नए बीएस-VI और साफ ईंधन वाले वाहनों के लिए कैप पर पुनर्विचार करने की सिफारिश की गई।

ई-वाहन और ऑटो कैप के संदर्भ में दृष्टिकोण सीएनजीएम की हाल की सिफारिशों में समग्र नीति यह है कि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण कम करने के लिए तेजी से ईवी (दो-पहिया,

तीन-पहिया, कार, बस, कमर्शियल वाहन) को हिस्सेदारी बढ़ाई जाए और नीति-निर्माण में ईवी की ओर ट्रांजिशन को तेज किया जाए।

ऑटो-कैप के मुद्दे पर सीएनजीएम/ईपीसीए की लाइन यह रही है कि अगर पर्याप्त संख्या में ऑटो/ई-ऑटो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करते हैं और इससे निजी कारों की संख्या व ट्रिप कम होते हैं, तो वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर कैप हटाने या बदलने पर विचार किया जा सकता है; यानी सैद्धांतिक रूप से वे कड़े कैप की जगह बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट और अधिक ईवी-ऑटो के पक्ष में हैं।

कुल मिलाकर, सीएनजीएम कैप को "स्थायी और अछूता" मानने के बजाय डेटा-आधारित समीक्षा और ईवी-केंद्रित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने की दिशा में झुका हुआ है, पर दिल्ली परिवहन विभाग अपनी हठ और तानाशाही को बनाए रखने और दिल्ली की सड़कों से जाम कम नहीं हो जाए और प्रदूषण में कमी नहीं आ जाए के लिए ई आटो को खुले में लाने में रुकावट बना रहा है।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट - दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी डीजल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट - दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी डीजल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट - दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी डीजल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट - दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी डीजल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

संक्षेप में, दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के सामने यह कहती है कि पर्यावरण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट - दोनों के हित में या तो कैप को वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर हटाया/बदला जाए, और जब तक कैप है, उसके भीतर से ई-ऑटो को सीएनजी ऑटो से अलग प्राथमिकता दी जाए क्योंकि अगर अतिरिक्त ऑटो केवल ई-ऑटो हों तो प्रदूषण में वृद्धि का सवाल नहीं उठता; उल्टा, सार्वजनिक परिवहन मजबूत होने से निजी डीजल/पेट्रोल वाहनों पर निर्भरता घट सकती है।

### जय जगन्नाथ जी

## जगन्नाथ पुरी धाम दर्शन

(दिल्ली से प्लाइट द्वारा यात्रा)

यात्रा तिथि: 19 जनवरी से 21 जनवरी

### यात्रा कार्यक्रम:

DAY 1 - दिल्ली भुवनेश्वर (प्लाइट द्वारा)  
होटल में चेक-इन  
खंडगिरी एवं उदयगिरी गुफाएं  
एलिफैंटा / लायन / क्वीन केल्स  
लिंगराज मंदिर  
जैन मंदिर  
मुक्तेश्वर मंदिर  
बिदुसागर  
रात्रि विश्राम - भुवनेश्वर

DAY 2  
नाशता  
बुद्ध स्तूप  
कोणार्क सूर्य मंदिर  
चंद्रमार्ग बीच

रामचंडी मंदिर  
पुरी होटल में ठहराव  
श्री जगन्नाथ मंदिर दर्शन  
विमला शक्तिपीठ  
रात्रि विश्राम - पुरी

DAY 3  
नाशता  
चिल्का झील (डॉल्फिन सैंक्चुरी)  
दिल्ली वापसी

पैकेज में शामिल:  
हवाई यात्रा  
होटल ठहराव  
केवल नाशता

पैकेज मूल्य: 25,000 /-  
प्रति व्यक्ति

बुकिंग अंतिम तिथि:  
15 दिसंबर

संपर्क करें:  
9716338127,  
9811732094  
9212632095



## इंदौर-दाहोद नई ब्रॉडगेज रेल लाइन: मार्च 2026 तक इंदौर से धार के बीच ट्रेन शुरू, 17 साल का इंतजार खत्म



संजय बाटला

इंदौर-दाहोद नई ब्रॉडगेज रेल लाइन: मार्च 2026 तक इंदौर से धार के बीच ट्रेन शुरू, 17 साल का इंतजार खत्म।

इंदौर-दाहोद नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना (204.76 किमी) में 17 साल के लंबे इंतजार के बाद अगले साल मार्च 2026 तक इंदौर से धार के बीच ट्रेन शुरू हो सकती है। इस परियोजना का भूमिपूजन वर्ष 2008 में हुआ था और 2013 में निर्माण कार्य शुरू किया गया।

रेलवे अधिकारियों का दावा है कि फरवरी 2026 तक टनल का काम पूरा हो जाएगा। वर्तमान में इंदौर से टीही (21 किमी) और

दाहोद से कटवारा (11.30 किमी) खंड का कुल 32.30 किमी भाग शुरू हो चुका है। टीही से धार के बीच ट्रैक लिंकिंग और मोबिल फ्लैश वेल्डिंग का काम प्रगति पर है।

इस परियोजना का सबसे बड़ा आकर्षण टीही टनल (2.95 किमी) है, जिसमें से 1.87 किमी काम पूरा हो चुका है। टनल में पानी निकालने के लिए लोहे की 150 और 400 मिमी की लाइन बिछाई गई है। हर 50 मीटर पर कुल 30 मैनहोल बनाए गए हैं ताकि टनल में जमा पानी को बाहर निकाला जा सके।

रेलवे बैलस्ता लैस ट्रैक बिछाने का काम भी टनल के अंदर शुरू हो गया है। दोनों टनल

एंड्स पर मटेरियल लाने-ले जाने के लिए कार्य जारी है। अगले दो महीनों में बचा हुआ 60 मीटर का हिस्सा भी पूरा करने का लक्ष्य है।

प्रोजेक्ट का महत्व: इंदौर-मुंबई दूरी कम होगी: इस परियोजना के पूरा होने से इंदौर और मुंबई के बीच रेल मार्ग लगभग 55 किमी छोटा हो जाएगा।

गुजरात-महाराष्ट्र से बेहतर कनेक्टिविटी: नई रेल कड़ी इंदौर को गुजरात और महाराष्ट्र से सीधे जोड़ेगी।

औद्योगिक और माल भाड़ा लाभ: पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे माल ढुलाई

सस्ता और तेज होगा।

आदिवासी व पिछड़े क्षेत्रों के लिए लाभ: धार, झाबुआ जैसे क्षेत्रों को पहली बार रेल सुविधा मिलेगी, जिससे रोजगार और सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा ने कहा, "टनल का काम अंतिम चरण में है। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मार्च 2026 तक इंदौर से धार के बीच ट्रेन शुरू हो सके।"

यह परियोजना केवल यात्रा समय कम करने वाली नहीं बल्कि आदिवासी बहुल और पिछड़े क्षेत्रों के लिए विकास का नया रास्ता खोलने वाली है।

## टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत

https://tolwa.com/about.html | tolwaindia@gmail.com  
tolwadelhi@gmail.com

### आज का साइबर सुरक्षा विचार

#### अनिवार्य SIM बाइंडिंग और इसका साइबर सुरक्षा पर प्रभाव



पिकी कुंडू

Mandatory SIM Binding क्या है? Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 के तहत DoT का नया निर्देश, जिसमें सभी मैसेजिंग/कम्यूनिकेशन ऐप्स को रजिस्ट्रेशन के समय उपयोग किए गए SIM से लगातार जुड़ा रहना अनिवार्य किया गया है।

यदि SIM हटाई जाती है या निष्क्रिय हो जाती है → ऐप को दोबारा प्रमाणीकरण तक बंद होना होगा।  
सरल शब्दों में: SIM = हाईवेयर पहचान टोकन, जो सुनिश्चित करता है कि उपयोगकर्ता उसी नंबर से भौतिक रूप से जुड़ा है जिसे वह चला रहा है।  
यह सुधार क्यों जरूरी था? भारत में लगातार बढ़ रहे हैं: \* फिशिंग \* डिजिटल अरेस्ट स्कैम

- \* प्रतिरूपण (Impersonation) धोखाधड़ी
- \* निवेश धोखाधड़ी
- \* रिमोट एक्सेस का दुरुपयोग
- \* विदेश से चलाए जा रहे WhatsApp/Telegram अकाउंट
- \* कई ऐप्स SIM हटाने के बाद भी चलते रहते हैं — जिससे गुप्तता और सीमा पार दुरुपयोग संभव हो जाता है।
- \* SIM बाइंडिंग इस खामि को बंद करती है।
- \* मुख्य प्रावधान
- \* सभी कम्यूनिकेशन ऐप्स के लिए अनिवार्य SIM लिंकिंग
- \* 90 दिन का अनुपालन (compliance) समय
- \* वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में ऑटो लॉगआउट
- \* सभी भारतीय मोबाइल नंबर आधारित ऐप्स पर लागू
- \* UPI और बैंकिंग ऐप्स में पहले से मानक प्रथा
- \* यह साइबर सुरक्षा को कैसे बदलता है?
- \* 1. भारतीय नंबरों के गुप्तता उपयोग का अंत
- \* SIM का भौतिक रूप से मौजूद



होना अनिवार्य → गुप्तता समाप्त।  
\* प्रतिरूपण धोखाधड़ी में कमी  
\* विदेशी गैस के लिए भारतीय अकाउंट चलाना कठिन  
\* 2. डिजिटल अरेस्ट और प्रतिरूपण गैस पर प्रहार  
\* म्यांमार/कंबोडिया/चीन/दुबई से चल रहे गिरोहों की पहुंच समाप्त।  
\* संगठित साइबर अपराध पर बड़ा असर  
\* 3. स्पैम, फिशिंग और बड़े पैमाने पर मैसेजिंग धोखाधड़ी में कमी  
\* Bulk SIM दुरुपयोग महंगा और जोखिमपूर्ण।  
\* कम स्पैम  
\* बेहतर ट्रेसिबिलिटी  
\* 4. अकाउंट्स के रिमोट दुरुपयोग पर रोक  
\* SIM बाइंडिंग + 6 घंटे का

लॉगआउट =  
\* लंबी अवधि के रिमोट सेशन समाप्त  
\* विदेशी IP से लगातार एक्सेस असंभव  
\* 5. राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती  
\* भौतिक SIM उपस्थिति सुनिश्चित → मजबूत पहचान और लिंकिंग।  
\* तेज इंटेलिजेंस कोरिलेशन  
\* 6. नागरिकों की गोपनीयता में सुधार  
\* अकाउंट हाइजैकिंग और पहचान दुरुपयोग पर रोक।  
\* केवल वास्तविक उपयोगकर्ता ही अकाउंट चला सकेगा  
\* 7. प्लेटफॉर्म की जवाबदेही बढ़ेगी  
\* ऐप्स को SIM उपस्थिति सत्यापित करनी होगी और पुनः प्रमाणीकरण

लागू करना होगा।  
\* पूरे देश में साइबर सुरक्षा का उच्च मानक स्थापित  
\* चुनौतियाँ  
\* बार बार SIM बदलने वाले उपयोगकर्ता  
\* डुअल SIM जटिलताएँ  
\* अंतरराष्ट्रीय यात्रा  
\* उद्योग की गोपनीयता संबंधी चिंताएँ  
\* COAI का स्पष्टीकरण:  
\* Wi-Fi पर ऐप्स सामान्य रूप से चलेंगे  
\* विदेशी SIM ब्लॉक नहीं होंगे  
\* यात्रियों को कोई असुविधा नहीं  
\* निष्कर्ष  
\* Mandatory SIM Binding एक ऐतिहासिक साइबर सुरक्षा सुधार है। यह:  
\* साइबर अपराध नेटवर्क को बाधित करेगा  
\* प्रतिरूपण और डिजिटल अरेस्ट स्कैम कम करेगा  
\* राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करेगा  
\* नागरिक सुरक्षा बढ़ाएगा  
\* 1.4 अरब भारतीयों के लिए सुरक्षित डिजिटल इकोसिस्टम बनाएगा।

## सीजेआई सूर्य कांत ने सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से चली आ रही वीआईपी कल्चर पर सख्त रुख अपनाकर पूरे कानूनी जगत को हिला दिया है, जाने पिकी कुंडू

कई वर्षों तक प्रभावशाली वरिष्ठ वकील अदालत में प्रवेश करते ही ऊँची आवाज में कह देते थे:

"मेरा केस पहले सुनिए।" अब यह विशेषाधिकार खत्म कर दिया गया है।

नई नीति के तहत अब न कोई शॉर्टकट चलेगा, न लाइन तोड़कर आगे बढ़ना, और न ही विशेष सुविधा मिलेगी।

अगर कोई मामला सच में तुरंत सुनवाई का हकदार है, तो उसे लिखित प्रक्रिया के माध्यम से ही लाया जा सकता है — न पहचान काम आएगी, न वरिष्ठता, और न ही नाम का प्रभाव।

जुनियर वकीलों को भी साफ हिदायत दी गई है: मामले का उल्लेख केवल बहुत ही असाधारण परिस्थितियों में करें, अन्यथा उल्लेख करने की कोशिश भी न करें। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब



CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर VIP कल्चर को पूरी तरह से बंद कर दिया है - और कानूनी दुनिया में हलचल मची हुई है।

लगा जब सीजेआई सूर्य कांत ने एक और बड़े बदलाव की संभावना जताई — एनजेएसी को फिर से लागू करने और कॉलेजियम प्रणाली पर पुनर्विचार करने का संकेत, जो भारत में जजों की नियुक्ति व्यवस्था को पूरी तरह बदल सकता है।  
ये मामूली बदलाव नहीं हैं। ये गंभीर और व्यापक सुधार हैं, जिनका उद्देश्य न्यायपालिका को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और जिम्मेदार बनाना है।  
एक ऐतिहासिक बदलाव।  
और एक संदेश, जो पूरे न्यायिक ढांचे में गूंज रहा है — सुप्रीम कोर्ट बदल रहा है — और पुरानी शक्ति आधारित व्यवस्था अब स्वीकार नहीं की जाएगी।



# स्वास्थ्य विशेष

## स्वास्थ्य आपका कोशिश हमारी



## मैग्नीशियम क्यों जरूरी है

मैग्नीशियम शरीर के कई कामों में मदद करता है — मांसपेशियों का सुकून/संकुचन, दिल की धड़कन ठीक रखना, तंत्रिका तंत्र को शांत रखना, ऊर्जा उत्पादन आदि। शरीर खुद मैग्नीशियम नहीं बनाता, इसलिए हमें इसे भोजन या सप्लीमेंट्स के माध्यम से प्राप्त करना होता है।

बहुत से लोग अपने आम भोजन से पर्याप्त मैग्नीशियम नहीं ले पाते। आपके शरीर को मैग्नीशियम की जरूरत हो सकती है — इन संकेतों पर ध्यान दें

यदि आपको इनमें से कोई लक्षण महसूस हो रहा हो, तो यह मैग्नीशियम की कमी का संकेत हो सकता है:

मांसपेशियों में ऐंठन, झटके या स्पैस्म — रात में पड़ने लगे हैं।  
आंखों में खिंचाव या आंखों (eyelids) का लगातार झड़ना, अनचाही मांसपेशीय कंपन आदि।

तनाव, बेचैनी, नींद न आना — लगातार तनाव से शरीर में मैग्नीशियम जल्दी खर्च होता है (पेशाब के साथ अधिक निकलता है), जिससे बेचैनी, चिंता, अनिद्रा या बेचैन नींद हो सकती है।

उम्र या दवाइयों के कारण अवशोषण कम होना — उम्र बढ़ने पर मैग्नीशियम अवशोषण कम हो जाता है। कुछ दवाओं (जैसे डायुरेटिक्स, एसिड-ब्लॉकर्स), या शर्करा/डायबिटीज जैसी स्थिति से भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है — ऐसे में अतिरिक्त मैग्नीशियम की जरूरत हो सकती है।

अन्य संभव संकेत (जिन्हें कई स्वास्थ्य स्रोतों में देखा गया है): थकान, कमजोरी, मूड में बदलाव, दिल की धड़कन अनियमित होना, नींद में खलल, हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट, हड्डियों की कमजोरी आदि।

सप्लीमेंट लेने से पहले — पहले



### अपने भोजन पर ध्यान दें

मैग्नीशियम युक्त कुछ प्रमुख खाद्य स्रोत हैं: हरी पत्तेदार सब्जियाँ (जैसे पालक, स्विच चार्ड), नट्स और बीज (बादाम, कद्दू व सूरजमुखी के बीज), दाल-beans/legumes, साबुत अनाज (ब्राउन राइस, ओट्स) और डार्क मांसपेशीय कंपन आदि।

तनाव, बेचैनी, नींद न आना — लगातार तनाव से शरीर में मैग्नीशियम जल्दी खर्च होता है (पेशाब के साथ अधिक निकलता है), जिससे बेचैनी, चिंता, अनिद्रा या बेचैन नींद हो सकती है।

उम्र या दवाइयों के कारण अवशोषण कम होना — उम्र बढ़ने पर मैग्नीशियम अवशोषण कम हो जाता है। कुछ दवाओं (जैसे डायुरेटिक्स, एसिड-ब्लॉकर्स), या शर्करा/डायबिटीज जैसी स्थिति से भी मैग्नीशियम की कमी हो सकती है — ऐसे में अतिरिक्त मैग्नीशियम की जरूरत हो सकती है।

अन्य संभव संकेत (जिन्हें कई स्वास्थ्य स्रोतों में देखा गया है): थकान, कमजोरी, मूड में बदलाव, दिल की धड़कन अनियमित होना, नींद में खलल, हाथ-पैरों में सुन्नपन या झनझनाहट, हड्डियों की कमजोरी आदि।

सप्लीमेंट लेने से पहले — पहले



एंटीबायोटिक्स, हार्ट- दवाई (digoxin), थायरॉइड दवाई (levothyroxine), ब्लड थिनर — इन दवाइयों के साथ मैग्नीशियम इंटरैक्ट कर सकता है, अवशोषण या प्रभाव बदल सकता है। यदि आप ऐसी दवाइयों ले रहे हैं, तो सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें।

अगर सप्लीमेंट लें — तो 'कैसे, कितनी और कब' महत्वपूर्ण है

अगर आपने तय किया है कि सप्लीमेंट जरूरी है — तो निम्न बातों का ध्यान रखें:

**मैग्नीशियम का प्रकार (फॉर्म):** ग्लाइसिनेट (glycinate / bisglycinate) — अच्छी अवशोषण क्षमता, पाचन के लिए सौम्य, नींद व मांसपेशियों के लिए अच्छा।  
मैग्नीशियम मैलेट (malate) — अच्छी अवशोषण, थकान या मांसपेशी दर्द में सहायक।

मैग्नीशियम साइट्रेट (citrate) — मध्यम अवशोषण, कब्ज या कब्ज-संबंधित समस्या में उपयोगी, लेकिन अधिक मात्रा में डायुरीया कर सकता है।  
मैग्नीशियम ऑक्साइड (oxide) — अवशोषण कम, मुख्य रूप से लैक्जेटिव (पोटी नरम करने वाला) के रूप में; तंत्रिका, नींद या मांसपेशियों के आराम के लिए बेहतर नहीं।

डोज (मात्रा):  
शुरू में करीब 100 mg (elemental magnesium) रोज — शाम में। अगर कोई दिक्कत न हो, तो धीरे-धीरे बढ़ाकर 200 mg/दिन (सुबह + रात दो हिस्सों में)।

अधिकोश वयस्कों के लिए सप्लीमेंट से मैग्नीशियम का सुरक्षित "उपचार स्तर" लगभग 350 mg/दिन। इससे ज्यादा लेने पर साइड-इफेक्ट्स हो सकते हैं।

**कब लेना चाहिए (समय):**  
अगर नींद सुधारनी हो — सोने से करीब 30 मिनट पहले।

**ऊर्जा चाहिए — नाश्ते के साथ।**  
रात में मांसपेशियों के ऐंठन (cramp) हो — रात के भोजन के साथ।

तनाव या चिंता के लिए — दिन में दो हिस्सों में लें (आधा सुबह, आधा रात)।

**निष्कर्ष** — समझदारी से मैग्नीशियम लें

मैग्नीशियम बहुत फायदेमंद मिनरल है — लेकिन सप्लीमेंट "फालतू नहीं लेना चाहिए।" सावधानी जरूरी है, क्योंकि अधिक मात्रा, गलत फॉर्म या अनावश्यक सेवन से साइड-इफेक्ट्स हो सकते हैं (जैसे कब्ज, पेट खराब होना, दिल या गुर्दे की समस्याएँ)।

आम ब्लड टेस्ट अक्सर हल्की कमी को नहीं दिखाते — क्योंकि सिर्फ 1% मैग्नीशियम ही रक्त में होता है।

इसलिए सबसे पहले कोशिश करें: अपने भोजन (diet) को सुधारें — हरी सब्जियाँ, नट्स, बीज, साबुत अनाज, दालें, आदि शामिल कर के। अगर फिर भी जरूरत हो, तो सप्लीमेंट सोचें — सही फॉर्म चुनकर, कम से शुरू करें, और अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें। डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर है।

इसलिए सबसे पहले कोशिश करें: अपने भोजन (diet) को सुधारें — हरी सब्जियाँ, नट्स, बीज, साबुत अनाज, दालें, आदि शामिल कर के। अगर फिर भी जरूरत हो, तो सप्लीमेंट सोचें — सही फॉर्म चुनकर, कम से शुरू करें, और अपने शरीर की प्रतिक्रिया देखें। डॉक्टर से सलाह लेना हमेशा बेहतर है।

## क्या है मायोपिया और क्यों बढ़ रहा है बच्चों में, जाने



पिकी कुंडू

### "नो-स्क्रीन टाइम" — लाइफ-लॉन्ग फायदे

सीतापुर के एक शोध में चौकाने वाला सच सामने आया है—3 से 5 साल के मासूम बच्चों में मायोपिया बेहद तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपके बच्चे भी आसमान में उड़ते पंखियों या तारों को देखना शुरू चुके हैं? अगर हा तो यह लेख आपके लिए विशेष है।

छह महीने में ही केवल एक अस्पताल में 10,239 बच्चे मायोपिया के साथ पहुंचे। वजह साफ है—

1. लगातार स्क्रीन
2. बंद कमरों में पूरा दिन
3. खुले आसमान और दूर देखने की कमी



डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों की आंखें "लंबी दूरी देखने" की आदत खो रही हैं। मोबाइल और टीवी उनकी आंखों को सिर्फ पास की वस्तुओं पर फोकस करना सिखा रहे हैं—जिससे शुरुआती उम्र में ही मायोपिया बढ़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार दवाओं से ज्यादा जरूरी है अभ्यास—

1. बच्चों को रोज दूरी तक देखना,
2. आसमान निहारना,
3. तारों की खोज, और
4. ऊंची उछली गेंद को कैच करने जैसी गतिविधियाँ आंखों की शक्ति बढ़ाती हैं।

बच्चों की आंखें स्क्रीन नहीं, 1. खुले आसमान, 2. प्राकृतिक रोशनी और 3. दूरी तक देखने के अभ्यास से मजबूत होती हैं। आज से ही घर में छोटा-सा "नो-स्क्रीन टाइम" शुरू करें—लाइफ-लॉन्ग फायदे मिलेंगे।

## मैग्नीशियम क्या है और उसका काम

मैग्नीशियम एक ऐसा आवश्यक खनिज है, जो शरीर में 300 से अधिक जैव-रासायनिक प्रतिक्रियाओं में शामिल होता है — जैसे नसों और मांसपेशियों का काम, हृदय की धड़कन, हड्डियों की मजबूती आदि।

इसके कारण — क्योंकि मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं (arteries) की स्वस्थता, तरल पदार्थ (fluid) संतुलन और आयनों (electrolytes) के संतुलन में भूमिका निभाता है — यह रक्तचाप (blood pressure) पर असर डालने वाला माना जाता रहा है।

वैज्ञानिक शोध — क्या मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर घटाता है? नई-नई उच्च गुणवत्ता वाली (randomized controlled) अध्ययनों और meta-analysis के आधार पर, यह पाया गया है कि मैग्नीशियम लेने से — खासकर उन लोगों में जिनका ब्लड प्रेशर पहले से ज्यादा हो या जिनमें मैग्नीशियम की कमी हो — ब्लड प्रेशर में हल्का लेकिन लाभकारी गिरावट आती है।

एक बड़े meta-analysis (38 ट्रायल; लगभग 2700 लोगों) में पाया गया कि मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेने से औसतन systolic BP ₹ 2.8 mm Hg और diastolic BP ₹ 2.1 mm Hg कम हुआ।

उन समूहों में जिनके BP पहले से ऊंचा था, या जिनके वजन, मधुमेह या अन्य मेटाबोलिक समस्या थी — गिरावट और शरीर को भीतर से पुष्ट करता है, अगिन को संतुलित करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।

अमरूद का प्रत्येक कण पोषण से सम्पन्न है। इसमें उपस्थित विटामिन C, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सिडेंट न केवल त्वचा और प्रतिरक्षा को निखारते हैं, बल्कि हृदय और पाचन को भी नया जीवन देते हैं। वैज्ञानिक शोध यह स्वीकारते हैं कि इसमें पाया जाने वाला lycopene, polyphenols और quercetin शरीर को सूजन, संक्रमण और कोशिका-क्षति से रक्षा करते हैं। यह वही फल है जो आंतों को शुद्ध करता है, रक्त में संतुलन लाता है और रोग-प्रतिरोधक शक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है।

## अमृतफलम् (Amruta-phalam) केवल फल नहीं, आयुर्वेद का सजीव सूत्र

जिस वृक्ष की छाया में पोषण उगता है, और जिसके फल में रक्षा छिपी है वही अमरूद आयुर्वेद में केवल स्वाद नहीं, संपूर्ण आरोग्य का प्रतीक माना गया है। आधुनिक शब्दों में जिसे "Superfruit" कहा जाता है, आयुर्वेद ने उसे युगों पहले अमृत की संज्ञा दी। यह फल शरीर को भीतर से पुष्ट करता है, अगिन को संतुलित करता है और जीवन में स्थिरता लाता है।

अमरूद का प्रत्येक कण पोषण से सम्पन्न है। इसमें उपस्थित विटामिन C, फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सिडेंट न केवल त्वचा और प्रतिरक्षा को निखारते हैं, बल्कि हृदय और पाचन को भी नया जीवन देते हैं। वैज्ञानिक शोध यह स्वीकारते हैं कि इसमें पाया जाने वाला lycopene, polyphenols और quercetin शरीर को सूजन, संक्रमण और कोशिका-क्षति से रक्षा करते हैं। यह वही फल है जो आंतों को शुद्ध करता है, रक्त में संतुलन लाता है और रोग-प्रतिरोधक शक्ति को भीतर से सशक्त बनाता है।

meta-analysis (पिछली कई meta-analyses को मिला कर) में ये निष्कर्ष मिला कि मैग्नीशियम से औसतन SBP ₹ 1.25 mm Hg और DBP ₹ 1.40 mm Hg गिरा।

विशेष रूप से, यदि व्यक्ति में मधुमेह (type 2), इंसुलिन प्रतिरोध या अन्य क्रॉनिक रोग हो, और मैग्नीशियम 300-400 mg/दिन लिया जाए > 12 सप्ताह तक, तो BP में खासा सुधार दिखा है।

**कैसे काम कर सकता है — मैग्नीशियम का प्रभाव**

मैग्नीशियम के BP-कम करने के संभावित कारण (mechanisms): रक्त वाहिकाएँ फैलाना (vasodilation): मैग्नीशियम रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स करने में मदद कर सकता है — जिससे arteries ज्यादा लचीले बनते हैं और रक्तचाप कम होता है। तरल पदार्थ और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन: मैग्नीशियम शर्करा, लवणों (electrolytes) और रक्त के तरल भाग (blood volume) को संतुलित करने में भूमिका निभाता है, जिससे BP नियंत्रित रहता है।

मेटाबोलिक और हृदय-स्वास्थ्य में सुधार: मधुमेह, इंसुलिन प्रतिरोध, metabolic syndrome वाले व्यक्तियों में मैग्नीशियम सप्लीमेंट से ब्लड प्रेशर में बेहतर परिणाम देखे गए हैं।

**सीमाएँ और सावधानियाँ (Limitations & Safety)**

लेकिन हर शोध में परिणाम समान नहीं मिले हैं:

कई RCTs में — विशेष रूप से स्वस्थ या युवा लोगों में — "कोई विशेष कम प्रभाव" (significant BP reduction) नहीं दिखा। उदाहरण के लिए, एक अध्ययन में 8 हफ्तों के लिए 350 mg/दिन मैग्नीशियम \*म देने पर BP में कोई फर्क नहीं



पाया गया। अध्ययनों में बहुत अंतर (heterogeneity) है — जैसे दवा की खुराक, अवधि, व्यक्ति की स्थिति (स्वस्थ / रोगी), मैग्नीशियम का प्रकार। यही कारण है कि सभी पर एक ही सुझाव देना मुश्किल है।

"सही" खुराक, सप्लीमेंट रूप, अवधि — ये आज भी निर्णायक रूप से निश्चित नहीं हैं। हालांकि, कई शोध बताते हैं कि 300-400 mg/दिन और 12 हफ्तों के लिए सेवन अधिक प्रभावी हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति की किडनी में समस्या है, या वह अन्य दवाइयों ले रहा है

— तब सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। कई अध्ययन में किडनी रोगी शामिल नहीं थे।  
**व्यावहारिक सुझाव**  
यदि आपको ब्लड प्रेशर पहले से अधिक है, या आपका मेटाबोलिक स्वास्थ्य (मधुमेह, prediabetes, आदि) ठीक नहीं है — तो मैग्नीशियम-युक्त भोजन (पालक, साबुत अनाज, नट्स, बीन्स) रखना एक अच्छा और सुरक्षित कदम है। अगर आप सप्लीमेंट लेना चाहते हैं — तो यह तय करें कि खुराक 300-400 mg/दिन या उसके आसपास हो, और कम से कम 3 महीने तक इसे नियमित लें — लेकिन शुरुआत पहले डॉक्टर से सलाह लेकर करें।

सप्लीमेंट अकेले पर्याप्त नहीं होते — BP नियंत्रण के लिए सामान्य जीवनशैली परिवर्तन (संतुलित आहार, व्यायाम, वजन नियंत्रण, नमक सीमित करना आदि) जरूरी है।

**निष्कर्ष** वर्तमान वैज्ञानिक साक्ष्य स्पष्टता से यह दिखाते हैं कि मैग्नीशियम — खासकर उचित खुराक और पर्याप्त अवधि के साथ — ब्लड प्रेशर को हल्के से कम कर सकता है, विशेष रूप से उन लोगों में जिनमें पहले से हाई BP, मधुमेह या मैग्नीशियम कमी हो। हालांकि, यह कोई "जादुई इलाज" नहीं है। मैग्नीशियम को एक सहायक (adjunct) कदम के रूप में देखें — दवा, आहार और जीवनशैली के अन्य सुधारों के साथ — और सप्लीमेंट शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें।

## छींक रोकने के साइड इफेक्ट

छींकते समय हमेशा अपनी नाक पर रुमाल रखें, इससे आपके आस-पास के लोगों को परेशानी नहीं होगी। हालांकि, सिर्फ इसलिए छींक रोकने की कोशिश न करें क्योंकि आप जल्दी में हैं।

छींक रोकने से शरीर पर कई तरह के बुरे असर हो सकते हैं, साइड इफेक्ट।

1. छींक रोकने से साइनस की समस्या हो सकती है।
2. छींक रोकने का असर खोपड़ी और दिमाग तक पहुंच सकता है।
3. कानों को नुकसान होने की संभावना है। इससे कान के पर्दे पर ज्यादा दबाव पड़ता है।
4. अगर आप जबरदस्ती छींक रोकते हैं, तो इसका असर आँखों पर भी पड़ सकता है। आँखों के पास की ब्लड वेसल खुल सकती है।




## पान कोई आदत नहीं, आयुर्वेदिक शक्ति है।

पिकी कुंडू

आयुर्वेद में पान को केवल स्वाद या परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि पाचन, शुद्धि और वाणी-संरक्षण का साधन माना गया है। जब सही विधि, सही समय और सही संयोजन के साथ पान का सेवन किया जाता है, तो वही साधारण सा पान शरीर में—

1. पाचन अग्नि को संतुलित करता है
2. मुँह की शुद्धि करता है
3. कफ दोष को नियंत्रित करता है
4. स्वर को स्थिर और स्पष्ट बनाता है
5. और आंतरिक तंत्र को सक्रिय रखता है

यही कारण है कि नागवल्ली आयुर्वेद में केवल रपतार नहीं, एक सुक्ष्म चिकित्सा उपकरण मानी गई है।



## कपालभाती, भीतर की अग्नि को जाग्रत करने का विज्ञान


पिकी कुंडू

आयुर्वेद कहता है जब अजरागिनि निर्वल होती है, तो रोग जन्म लेते हैं और जब अग्नि प्रबल होती है, तो शरीर स्वस्थ और विकारों को जलाकर शुद्ध कर देता है।

कपालभाती वही प्राणायाम है जो पाचनतंत्र की अग्नि को प्रज्वलित करता है, आंतों में जमे आम दोष को बाहर निकालने में सहायता करता है और शरीर को भीतर से हल्का, सक्रिय और संतुलित बनाता है।

हठयोग प्रदीपिका इस क्रिया को शोभन कर्म मानती है एक ऐसा अभ्यास जो अग्नि के बिना ही शरीर की गहराई से सफाई करता है।

आधुनिक विज्ञान भी यह मानता है कि कपालभाती से मेटाबॉलिज्म तीव्र होता है, फैटी लिवर जैसी स्थितियों में सुधार आता है, हार्मोन संतुलन बेहतर होता है और उदर क्षेत्र की जड़ता धीरे-धीरे कम होने लगती है। यह केवल साँसों की गति नहीं है यह निष्क्रियता को सक्रियता में बदलने की प्रक्रिया है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय कपालभाती को देते हैं, तो शरीर के भीतर का आलस्य जलता है और प्राणशक्ति प्रकाशित होती है। आयुर्वेद केवल उपचार नहीं, जीवन जीने की संस्कृति है।



# धर्म अध्यात्म



पिकी कुंडू

## शनि और भैरव, दो अदृश्य शक्तियाँ

शाबर परम्परा में यह संयुक्त ऊर्जा केवल उपासना नहीं बल्कि रक्षा, संबल और संकट-नाश का साधन है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति इसका नामोच्चारण श्रद्धा से करता है उसके जीवन में अचानक आने वाले संकट, कर्ज, मुकदमे, बीमारी, भूत प्रेत और दुर्भाग्य टूटकर गिरते हैं।

परम्परा में प्रचलित मंत्र ॐ नमो भैरव शनि राजा काल भैरव महाशक्तिजा दुष्ट ग्रह दुःख निवारण भूत प्रेत पिशाच विदारण भैरव शनि करि रक्षा सर्व संकट क्षय स्वाहा

इस मंत्र का प्रभाव किसी दिखावे या अंधविश्वास का नहीं बल्कि अनुभवजन्य और धारणा-शक्ति पर आधारित माना गया है। यह साधक के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र निर्मित करता है और जीवन में जमी हुई रुकावटों को काटकर मार्ग प्रशस्त करता है।

जप में डर या लालच की नहीं, दृढ़ मन और संकल्प की आवश्यकता है। जब साधक अपनी ऊर्जा को स्थिर करके इस नाम का उच्चारण करता है तो जीवन के अंधेरे कोनों में प्रकाश दिखाई देने लगता है।

यह मंत्र उपासना नहीं, संरक्षण है। भय नहीं, बल है। संकट में टूटना नहीं, संकट को तोड़ देना है।




## भगवान श्री कृष्ण: लीलाओं के नायक



भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के आठवें अवतार हैं, जिनका जन्म द्वारपरयुग में हुआ था। उनकी लीलाएँ दुनिया भर में विख्यात हैं, जो मनमोहक और अनुपम हैं। बचपन में उन्होंने मकखन चुराया, राक्षसों का वध किया और यशोदा माता के प्यार में पले ... !!

महाभारत में योगदान कुरुक्षेत्र युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और भगवद्गीता का उपदेश दिया। गीता में निष्काम कर्म, भक्ति योग और धर्म की रक्षा का संदेश है। यह 700 श्लोकों वाली पुस्तक आज भी जीवन का मार्गदर्शक है। प्रेम और शिक्षाएँ कृष्ण राधा के साथ प्रेम के प्रतीक हैं, जो दिव्य भक्ति का उदाहरण देते हैं। उनकी शिक्षाएँ कहती हैं - परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करो। यदा-यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। इस श्लोक से वे धर्म की रक्षा का वचन देते हैं।

## वाराही देवी शास्त्रों में शक्ति की करुणामयी छाया



@नमामामीशमीशान

### ।। वाराही स्तोत्रम् ।।

पिकी कुंडू

वाराही देवी को शास्त्रों में शक्ति की उस भीषण परंतु करुणामयी छाया के रूप में प्रणाम किया गया है, जो साधक के जीवन के अंधेरे को निगल कर उसके भाग्य को नये रूप में जन्म देती है। लाल वर्ण, सिंह पर आरूढ़, खड्ग और पाश धारण किये यह देवी तंत्र में रक्षण, विजय और धन की अधिष्ठात्री मानी गयी है। शत्रु, भय, बाधा, अभिशाप और अदृश्य प्रतिक शक्तियाँ इसके नाम मात्र से हटती हैं। जो साधक इसे घर में सरल स्तोत्र के माध्यम से आवाहन करता है, उसके चारों ओर अदृश्य कवच बनता है और जीवन की दिशा बदलने लगती है।

वाराही साधना का रहस्य यह है कि यह साधक को धन, सौभाग्य और विजय तो देती ही है, पर उससे पहले उसकी अंतरात्मा को निर्भीक बनाती है। यह देवी तांत्रिकों, साधकों, ओझाओं और संघर्ष में पड़े व्यक्तियों की संरक्षिका है। कहा गया है कि जिस घर में प्रतिदिन वाराही स्तोत्र का पाठ होता है, वहाँ रोग, दरिद्रता और कलह टिक नहीं पाते और अचानक लाभ, अवसर और सामर्थ्य का प्रादुर्भाव होने लगता है।

नमस्ते वाराही देवी वरदांगी वरप्रदा । रक्तवर्णा महाशक्ति सर्वकामफलप्रदा ॥

नमस्ते खड्गधारिणि नमस्ते पाशधारिणि । नमस्ते शूलहस्ते च नमस्ते वरदारिणि ॥ सिंहारूढे महादेवि दुष्टदैन्य विनाशिनि । सर्वव्याध हरा देवी सर्वदुःख विनाशिनि ॥

धनं देहि यशो देहि सौभाग्यं सुव्रतां तथा । पुत्रान्-पौत्रान्-सुखं देहि जीवनं शुभमस्तु मे ॥

तव भक्तो निर्भयो नित्यं तव भक्तो विजयी सदा । दासोऽहं शरणं देहि वाराही परिपालय ॥

इति वाराही स्तोत्रम् ॥ वाराही उस शक्ति का नाम है, जो साधक को उठाकर उन क्षेत्रों में ले जाती है, जहाँ साधारण मनुष्य पहुँचने से डरता है। उसकी कृपा भय पर विजय, जीवन में नियंत्रण और अदृश्य से संरक्षण प्रदान करती है। यदि मन सच्चा हो, संगति पवित्र हो और उद्देश्य न्यायपूर्ण हो, तो यह देवी साधक के भाग्य में वह परिवर्तन लाती है, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं।

## योगमाया कौन ?

योगमाया वह शक्ति है जिसने जन्म लेते ही आकाश में प्रकट होकर दुष्टता के शासन को चुनौती दी। यह वही अदृश्य शक्ति है जो समय आने पर स्वयं कुमारिका बनकर उतरती है और संसार की दिशा बदल देती है। योगमाया का स्वरूप उग्र, काला, भयानक प्रतीत होता है, पर भीतर से वह करुणा और रक्षा का महासागर है। यह देवी बाहरी युद्ध नहीं लड़ती, ये मनुष्य के भीतर बसे भय, दुर्बलता और अज्ञान के नागों को परास्त करती है।

कृष्ण जन्म कथा में योगमाया का रहस्य आज भी सर्वाधिक चमत्कारी माना जाता है। एक साधारण कन्या के रूप में जन्म लेकर उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी के सामने अपना दिव्य स्वरूप उजागर किया। यह घटना बताती है कि देवी शक्ति को पराजित करने का प्रयास कर भी कोई सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह जीवन के केंद्र में स्थित चेतना है। योगमाया की उपासना साधारण पूजा से लेकर गहन तांत्रिक साधना तक विस्तृत है। यह साधना व्यक्ति को अदृश्य भय, बाधाएँ, नजर, भूत-प्रेत और अनिष्ट से रक्षा प्रदान करती है। जीवन में बार-बार आने वाली रुकावटें, असफलता, मानसिक दबाव और अनाम बाधाएँ, यदि किसी अदृश्य कारण से होती हैं, तो योगमाया की कृपा से वह टूटती है।

योगमाया का आह्वान आत्मशक्ति को जागृत करता है। यह साधना व्यक्ति के भीतर ऐसा सामर्थ्य पैदा करती है कि वह परिस्थितियों के आगे झुकने के बजाय उन्हें बदलने का सामर्थ्य पा



लेता है। यह रूप मातृत्व भी है और विनाश भी, करुणा भी है और उग्रता भी, अंधकार भी है और प्रकाश भी। कहा जाता है कि जो व्यक्ति ईमानदारी से योगमाया का स्मरण करता है, उसके जीवन में अदृश्य सुरक्षा कवच स्थापित होता है। विजय, उन्नति, साहस और तेज उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं। वह ग्रह-पीड़ा, सूक्ष्म बाधाएँ और मानसिक उलझनों से मुक्त होकर अपनी नियति का निर्माता बनता है। योगमाया केवल पूजा की देवी नहीं, बल्कि वह शक्ति है जो मनुष्य के जीवन पर शासन करती है। इनका स्मरण यह संदेश देता है कि संसार में भय से बड़ा कोई शत्रु नहीं, और उस भय को भेदने से बड़ी कोई साधना नहीं।

## अघोर गजलक्ष्मी अनुष्ठान साधारण लक्ष्मी उपासना नहीं, बल्कि शक्ति, सत्ता और अदृश्य प्रभाव को जागृत करने वाली साधना है

पिकी कुंडू

इसमें देवी का रूप शांत, कोमल और सौम्य नहीं, बल्कि प्रचंड, उग्र और तेजस्वी माना जाता है। अघोर परंपरा कहती है कि धन केवल मुद्रा नहीं, बल्कि ऊर्जा है, और ऊर्जा वहीं प्रवाहित होती है जहाँ साहस, अधिकार और निर्णय की क्षमता हो। इस साधना का उद्देश्य केवल धन में धन लाना नहीं, बल्कि साधक को क्षमता हो। इस साधना का उद्देश्य केवल ऐसा व्यक्तिव्यवस्था देना है जो सम्मान प्राप्त करे, जहाँ वह जाए वहाँ उसकी वाणी और उपस्थिति प्रभाव डाले।

गजलक्ष्मी के दोनों ओर उपस्थित गज शक्ति के द्वारपाल हैं। वे केवल जल नहीं, बल्कि ऐश्वर्य, सिद्धि और अनुकंपा का अमृत वर्षा करते हैं। अघोर साधक मानता है कि देवी की कृपा यदि केवल धन के रूप में मिले तो वह सीमित है, लेकिन यदि ऊर्जा के रूप में मिले तो वह जीवन की हर दिशा बदल देता है। कहा जाता है कि इस अनुष्ठान का प्रभाव साधक को भाग्य के उतार-चढ़ाव से परे ले जाता है, जहाँ

परिस्थितियाँ उसके अनुसार चलती हैं। अघोर मत में गजलक्ष्मी केवल संपत्ति का विस्तार नहीं करती, बल्कि सत्ता, प्रभाव और नियंत्रण देती है। जो व्यक्ति लंबे समय से संघर्ष, संघर्ष, परिश्रम और दुर्भाग्य में फंसा हो, वह इस साधना से नया जन्म पाता है। उसके जीवन में छिपे हुए अवसर प्रकट होते हैं, और अटके हुए काम सहज गति से पूरे होते हैं। इस अनुष्ठान में दीप, यंत्र, मौन और रात्रि का विशेष महत्व है, क्योंकि इन्हीं क्षणों में ऊर्जा का प्रवाह तीव्र होता है।

अघोर साधक देवी को भय से नहीं, समर्पण से प्राप्त करता है। वह अपने भीतर के अवरोध, डर और दुर्बलता को अग्नि में अमृत वर्षा करते हैं। अघोर साधक का निर्माण करता है। इस ऊर्जा को तांत्रिक परंपरा में रत्नलक्ष्मी-तेज कहा गया है, जो व्यक्ति की सोच, व्यवहार और निर्णय में ऐसा प्रभाव लाता है कि समाज स्वयं उसे स्वीकार करे। कई साधक इस साधना को केवल

व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि कुल, घर और पीढ़ियों की उन्नति के लिए करते हैं। कहा जाता है कि जहाँ अघोर गजलक्ष्मी का आवाहन होता है, वहाँ negativity, दुर्भाग्य और शत्रुता टिक नहीं पाती। धन आता है, अवसर आता है, पर उससे भी अधिक शक्ति आती है। इस अनुष्ठान का मूल मंत्र है ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै भैरवी नमः जप संख्या 108, रात्रि में, दीप और मौन के साथ।

जिस व्यक्ति को धन तो मिलता है, पर टिकता नहीं, जिसे अवसर मिलते हैं, पर लाभ नहीं, जिसके जीवन में भाग्य टूटता रहता है, और जो जीवन में सत्ता, प्रभाव और उन्नति चाहता है, उसके लिए यह साधना अमृत है। अघोर कहता है कि समृद्धि आपका अधिकार है, दान नहीं। और यह अनुष्ठान आपके भीतर अधिकार की चेतना जगाने के लिए है।




ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गजलक्ष्म्यै भैरवी नमः

@नमामामीशमीशान

## हनुमान जी पर सिन्दूर चढ़ाने की क्या है मान्यता, क्या मिलते हैं फ़ायदे हनुमान जी पर सिन्दूर चढ़ाने से

हनुमानजी को सिन्दूर चढ़ाने से बल, बुद्धि, और विवेक की प्राप्ति होती है, सभी मनोकामनाएँ पूरी होती हैं, और जीवन के कष्ट व बाधाएँ दूर होती हैं; यह शनि और मंगल दोष को शांत करता है और जीवन में सुख-समृद्धि लाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा करता है और आत्मविश्वास बढ़ाता है। मंगलवार को चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चढ़ाना शुभ माना जाता है।



सिंदूर चढ़ाने के प्रमुख लाभः 1. मनोकामना पूर्ति: सच्ची श्रद्धा से अर्पित सिंदूर से हनुमानजी प्रसन्न होकर सभी इच्छाएँ पूरी करते हैं। 2. शत्रु बाधा से मुक्ति: शत्रुओं पर विजय मिलती है और तंत्र-मंत्र व जादू-टोना का असर खत्म होता है। 3. आर्थिक लाभ: कर्ज और आर्थिक संकट से छुटकारा मिलता है, धन-वैभव बढ़ता है। 4. मानसिक शांति: मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और आत्मबल मिलता है, जिससे डर और कष्ट दूर होते हैं। 5. ग्रह दोष निवारण: कुंडली में मंगल या शनि दोष होने पर सिंदूर

चढ़ाने से शांति मिलती है और दुर्घटनाओं से रक्षा होती है। 6. बल और बुद्धि: व्यक्ति को शारीरिक बल, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होती है। कर्ज चढ़ाने हैं सिंदूर (पौराणिक कथा): एक बार हनुमानजी ने माता सीता को मांग में सिंदूर भरते देखा। जब उन्होंने कारण पूछा, तो सीताजी

ने बताया कि यह पति (श्री राम) की लंबी आयु और कल्याण के लिए है। यह सुनकर हनुमानजी ने सोचा कि अगर थोड़ा सा सिंदूर इतना फल देता है, तो पूरे शरीर पर लगावे से श्रीराम अमर हो जाएंगे, और उन्होंने स्वयं को सिंदूर से रंग लिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कैसे चढ़ाएँ: मंगलवार को चमेली

के तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमानजी के दाहिने कंधे या मूर्ति पर अर्पित करें। हनुमानजी को नारंगी सिंदूर चढ़ाना चाहिए। महत्वपूर्ण दिन: मंगलवार और शनिवार हनुमानजी के प्रिय दिन माने जाते हैं, और इन दिनों सिंदूर चढ़ाना विशेष फलदायी होता है।

## सबसे बड़ा पाप क्या है ?

पिकी कुंडू

शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उन सभी कर्मों का लेखा-जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। पुराणों में कई अच्छे और बुरे कामों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण और कठोपनिषद् में तो यह भी बताया गया है कि मनुष्य को अपने पाप कर्मों के कारण मृत्यु के बाद अलग-अलग तरह के पापों के लिए कौन-कौन सी अलग सजाएँ दी जाती हैं। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग-अलग सजा बारी-बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है।

कामी व्यक्ति के लिए ऐसी है सजा गरुण पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गौर की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यतना भोगकर लकड़बध्ना अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनी में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग



करता है ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनी में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनी में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था लेकिन आज कल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। कृष्ण की दृष्टि से यह है सबसे बड़ा पाप भगवान श्री कृष्ण ने उक्त समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है।

# शिक्षकों का राष्ट्र-निर्माता से लेकर बहु-विभागीय कर्मचारी बनने, अब आवारा कुत्तों की निगरानी, गिनती और पहचान करने तक का सफ़र-समग्र अंतरराष्ट्रीय विश्लेषण

शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी, गिनती और पहचान करने का आदेश, भड़के शिक्षक - हमें हंसी का पात्र बनाया जा रहा, यह हमारी पेशेवर गरिमा पर आघात है - शिक्षकों का मुख्य कार्य बच्चों को पढ़ाना है, कुत्ते गिनना नहीं - एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र

गौदिया - वैश्विक स्तर पर भारत में शिक्षक परंपरागत रूप से बच्चों के भविष्य का निर्माता, समाज का मार्गदर्शक और राष्ट्र के बौद्धिक स्तंभ माने जाते हैं। शिक्षा का कार्य केवल ज्ञान का संचार भर नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों, नागरिक चेतना, चरित्र निर्माण और सामाजिक विकास का आधार भी है। किंतु विडंबना यह है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में शिक्षकों को अक्सर शिक्षण के अतिरिक्त असंख्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में झोंक दिया जाता है-जनगणना कार्य, चुनाव आयोग का चुनावी प्रबंधन, स्वास्थ्य विभाग की डोर-टू-डोर गतिविधियाँ, सर्वेक्षण, खाद्यान्न वितरण का रिपोर्ट, पंचायत गतिविधियाँ और यहाँ तक कि कई बार स्थानीय प्रशासन द्वारा सौंपे गए तात्कालिक काम भी उन्हें ही करने पड़ते हैं। (मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गौदिया महाराष्ट्र, यह मानता हूँ कि इस असंतुलन ने शिक्षकों के पेशेवर गौरव को प्रभावित किया है और बच्चों की सीखने की गुणवत्ता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। इसी व्यापक संदर्भ में हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा जिलों में शिक्षकों को स्कूल परिसर के आसपास दिखने वाले आवारा कुत्तों की पहचान, रिपोर्टिंग, निगरानी और कुत्तों से सावधान रहने जैसे साइनबोर्ड लगाने के आदेश ने एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी है। शिक्षकों ने इस निर्देश को धिनीना, अपमानजनक और हंसी का पात्र बनाने वाला कदम कहा है। यह मामला केवल दो जिलों तक सीमित नहीं, बल्कि यह भारत की शिक्षा प्रणाली के उस संकटपूर्ण ढांचे की ओर संकेत करता है, जिसमें शिक्षक एक मल्टी-डिपार्टमेंट वर्कर बनकर रह गया है। यह विश्लेषण इस पूरी घटना का सामाजिक, प्रशासनिक, न्यायिक, शैक्षणिक और अंतरराष्ट्रीय नजरिए से विस्तृत मूल्यांकन करता है।

साथियों बात अगर हम आदेश की पृष्ठभूमि, जब शिक्षक कुत्तों की गिनती करने लगे इसको समझने की करें तो, यहला मुद्दा जो चर्चा में आया, वह जम्मू कश्मीर राज्य के जहां से अब भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, पुंछ व कुपवाड़ा जैसे जिलों में जारी आदेश है, जिसमें शिक्षकों को आवारा कुत्तों की गिनती, उनके दिखने के स्थानों की डॉक्यूमेंटेशन और उनके व्यवहार या घटनाओं की रिपोर्टिंग का कार्य सौंपा गया। शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह कदम उनके पेशेवर सम्मान के खिलाफ है, और ऐसा लग रहा है मानो शिक्षकों को किसी भी प्रकार का प्रशासनिक बोझ वर्गीकृत कर दिया

गया है। आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय एक नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो आवारा कुत्तों के दृश्य की रिपोर्टिंग करें और उसे जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करें। यह स्थिति उन दूरस्थ स्कूलों में और भी जटिल है जहाँ शिक्षक पहले से ही बहु-स्तरीय कार्यों में बँधे हुए हैं, स्कूल चलाना, कक्षाओं का संचालन, मिड-डे मील मॉनिटरिंग, प्रवेश प्रक्रिया, विभागीय रिपोर्टिंग, प्रशासनिक निरीक्षण, आरटीई अनुपालन, ऐसे में कुत्तों की गिनती का कार्य जोड़ना शिक्षकों के कार्यभार को गैर-जरूरी रूप से बढ़ाता है और शिक्षा-गत गुणवत्ता को कम करता है।

साथियों बात अगर हम जम्मू-कश्मीर के पुंछ और कुपवाड़ा आदेश क्यों जारी हुआ? इसको समझने की करें तो, जम्मू-कश्मीर प्रशासन का कहना है कि कई जिलों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ी है और कई स्कूल परिसरों में कुत्तों ने बच्चों पर हमला करने की घटनाएँ दर्ज हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में आवारा कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रण और पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम को प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए थे। यही कारण है कि जिला उपायुक्त ने एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें निर्णय लिया गया कि, कुत्तों की निगरानी, पशु जन्म नियंत्रण का क्रिया-न्वयन, नगरपालिकाओं से सहयोग खतरनाक पशुओं पर नजर, छात्रों की सुरक्षा, इन सब उपायों को लागू करने के लिए शिक्षकों को सबसे आसान और उपलब्ध विकल्प समझा गया, क्योंकि वे स्कूल में उपस्थित ही रहते हैं और प्रशासनिक प्रणाली का हिस्सा भी हैं। यह सोच भले प्रशासनिक सुविधा दे, लेकिन यह शिक्षा की वास्तविकता को कमजोर करती है।

साथियों बात अगर हम क्या शिक्षकों को नोडल अधिकारी बनाना आवश्यक था? एक प्रशासनिक आलोचना इसको समझने की करें तो, सीओ पुंछ और कुपवाड़ा द्वारा जारी आदेशों में शिक्षकों, हेडमास्टरों और प्रिंसिपलों को नोडल अधिकारी बनाकर कुत्तों की उपस्थिति रिपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस आदेश की आलोचना इसलिए बढ़ी क्योंकि (1) शिक्षक सुरक्षा विशेषज्ञ नहीं हैं (2) उन्हें पशुओं के व्यवहार की तकनीकी जानकारी नहीं (3) जोखिमपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना प्रशिक्षित व्यक्तियों का कार्य है। (4) नगरपालिका, पशुपालन और स्थानीय निवासियों का यह मूल क्षेत्राधिकार है (5) शिक्षक संवेदनशील दैनिक कार्य कर रहे होते हैं, कुत्तों की निगरानी से उनकी कक्षा बाधित होगी, यह प्रशासनिक प्रक्रिया सरकारी विभागों की कमी को शिक्षकों पर थोपने का एक उदाहरण मानी जा रही है।

साथियों बात अगर हम कुत्तों से सावधान रहें बोर्ड लगाने का निर्देश, प्रतीकवाद या समाधान? इसको समझने की करें तो, आदेश में यह भी कहा गया कि, हर स्कूल के बाहर हर प्रवेश द्वार पर, छात्रों के मार्ग पर बिअवेयर ऑफ़ डॉस /

## शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी, गिनती और पहचान का आदेश



कुत्तों से सावधान रहें संदेश वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। लेकिन शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि, बोर्ड लगाने से समस्या हल नहीं होती, यह लंबे समय के समाधान का विकल्प नहीं, यह स्कूल को डर का स्थल बनाता है, बच्चों में मानसिक असुरक्षा का भाव बढ़ा सकता है, यह ऐसे है जैसे किसी खतरनाक क्षेत्र में चेतावनी लगाकर जिम्मेदारी पूरी कर दी गई हो, जबकि असल समस्या सटीक रूप से जस की तस बनी रहती है।

साथियों बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ, प्रशासन की मजबूरी या गलत व्याख्या? इसको समझने की करें तो, सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों की समस्या पर कहा था कि, राज्य सरकार को पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम चलाएँ नगरपालिकाएँ डॉग वॉर्डन टीम में तैनात करें, प्रशासनिक निकाय वैज्ञानिक योजना बनाएँ, नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है, लेकिन कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया कि शिक्षकों को कुत्तों की गिनती करनी चाहिए। यही कारण है कि कई शिक्षक संगठनों ने यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की गलत व्याख्या करार दिया है।

साथियों बात अगर हम शिक्षकों की प्रतिक्रिया: हम शिक्षक हैं, पशु निरीक्षक नहीं इसको समझने की करें तो कई संगठनों ने बयान दिएह कदम धिनीना है। हमें हंसी का पात्र बना दिया गया। शिक्षकों का अपमान है। यह हमारी पेशेवर गरिमा पर आघात है। हमारा मुख्य कार्य

बच्चों को पढ़ाना है, कुत्ते गिनना नहीं। ऑल इंडिया प्राथमिक शिक्षक महासंघ और जम्मू-कश्मीर टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि शिक्षक पहले ही कई गैर-शैक्षणिक बोझ से दबे हुए हैं। यह आदेश शिक्षा प्रणाली की गंभीरता पर प्रश्नचिह्न है।

साथियों बात अगर हम गैर-शैक्षणिक कार्यों का शिक्षण परिणामों पर दुष्प्रभाव इसको समझने की करें तो शोध बताते हैं कि, शिक्षक जितना समय पढ़ाने में लगाएँगे, उतनी ही सीखने की दर बढ़ेगी, अतिरिक्त शिक्षण समय को 20-30 प्रतिशत तक कम कर देता है, प्राथमिक विद्यालयों में यह प्रभाव और अधिक गंभीर है, छात्रों का लर्निंग आउटकम घटता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहा गया है कि शिक्षकों को केवल शिक्षण पर ध्यान केंद्रित करने देना चाहिए, लेकिन वास्तविकता इससे उलट है।

साथियों बात अगर हम अंतरराष्ट्रीय तुलना, क्या अन्य देशों में शिक्षकों से ऐसे कार्य कराए जाते हैं? इसको समझने की करें तो, फिनलैंड, जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, यूके, यूएस, फ्रांस, जर्मनी जैसे देशों में, शिक्षक केवल शिक्षण करते हैं, गैर-शैक्षणिक कार्यों सख्ती से प्रतिबंधित, सुरक्षा व पशु नियंत्रण के लिए अलग विभाग मल्टी एजेंसी कोऑर्डिनेशन टीम, भारत में उल्टा है- जनगणना शिक्षक, चुनाव शिक्षक, सर्वे शिक्षक, मिड-डे मील स्टॉक शिक्षक कोविड टीकाकरण ड्यूटी शिक्षक पंचायत सर्वे शिक्षक अब आवारा कुत्तों की

गिनतीशिक्षकयह अंतर दर्शाता है कि भारत में शिक्षक की भूमिका को प्रशासनिक संसाधन की तरह देखा जाता है, न कि शैक्षणिक विशेषज्ञ की तरह। शिक्षकों की प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव- लगातार गैर-शैक्षणिक कार्य शिक्षकों का आत्मविश्वास कम करते हैं, पेशेवर पहचान में भ्रम उत्पन्न करते हैं, मानसिक तनाव बढ़ाते हैं, छात्रों का विश्वास भी प्रभावित होता है, समाज में हास्य और अवमानना का वातावरण बनाता है, जब शिक्षक कहते हैं कि उन्हें हंसी का पात्र बनाया गया है, इसका मतलब है कि उनकी पेशेवर छवि धूमिल हो रही है।

साथियों बात अगर हम शिक्षा तंत्र पर गहरा प्रश्न, क्या प्रशासन आसान रास्ता चुन रहा है? इसको समझने की करें तो, आवारा कुत्तों की समस्या का समाधान, पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम, वैक्सीनेशन, पकड़ने और पुनर्वास की टीम, नगरपालिका की निगरानी पशुपालन विभाग की सक्रियता, लेकिन प्रशासन ने आसान रास्ता चुना शिक्षकों को लगा दोक्योंकि, वे उपलब्ध हैं, वे विरोध कम करेंगे, वे सरकारी तंत्र का हिस्सा हैं, उन पर कार्रवाई करना आसान है, यह दृष्टिकोण शिक्षा नीति के प्रति गैर-गंभीरता दर्शाता है। बच्चों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन समाधान तार्किक होना चाहिए, बच्चों को आवारा कुत्तों से बचाना आवश्यक है। यह एक वास्तविक खतरा है। कई राज्यों में कुत्तों के हमलों से बच्चों की मौत भी हुई है। लेकिन समाधान यह नहीं कि, शिक्षक कुत्तों का पीछा

करें, शिक्षक घटनाएँ गिनें, शिक्षक नगरपालिका से समन्वय करें समाधान यह है कि, विशेषज्ञ टीम बनाई जाएँ, बकायदा सुरक्षा गार्ड तैनात हों, स्कूल परिसर की बाड़ मजबूत की जाए, जिला प्रशासन ठोस नीति लागू करें।

साथियों बात अगर हम शिक्षा के अधिकार और सुरक्षा के अधिकार के बीच संतुलन आवश्यक इसको समझने की करें तो, बच्चों का अधिकार है-सीखना + सुरक्षित रहना शिक्षक का अधिकार है- सम्मान + पेशेवर स्वतंत्रता प्रशासन का कर्तव्य है- नीति निर्माण + संसाधन प्रबंधन किसी एक पक्ष पर बोझ डालकर समस्या हल नहीं होती, बल्कि नए संकट जन्म लेते हैं। नीति-निर्माण की आवश्यकता- क्या समाधान हो (1) शिक्षक को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त किया जाए, एनईपी 2020 इसका समर्थन करती है। (2) जिला स्तर पर स्कूल सुरक्षा प्रकोष्ठ बनाया जाए (3) कुत्तों को पकड़ने और एबीसी प्रोग्राम के लिए विशेष टीम (4) स्कूलों में सीसीटीवी और फेंसिंग (5) नगरपालिका का उत्तरदायित्व बढ़ाया जाए (6) शिक्षकों के सम्मान और भूमिका की रक्षा। जब समाज देखता है कि शिक्षक कुत्तों की गिनती कर रहे हैं, तो शिक्षक का आदर्श किरदार कमजोर पड़ता है। बच्चों में भी एक गलत संदेश जाता है कि शिक्षकों का कार्य कोई भी मामूली प्रशासनिक काम कर लेना है। शिक्षा का सम्मान तभी बढ़ेगा जब शिक्षक सम्मानित होंगे।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएँगे कि शिक्षा तंत्र की प्राथमिकताएँ पुनर्निर्भाषित करने की जरूरत जम्मू-कश्मीर में आवारा कुत्तों की समस्या पर जारी आदेश ने एक गंभीर बहस को जन्म दिया है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत में शिक्षक का कार्य क्षेत्र असीमित होता जा रहा है, कभी चुनाव, कभी जनगणना, कभी सर्वे, कभी स्वास्थ्य अभियान और अब कुत्तों की निगरानी तक। यह प्रवृत्ति न केवल शिक्षकों की गरिमा को धूमिल करती है, बल्कि शिक्षा की मूल गुणवत्ता को भी नुकसान पहुंचाती है।

शिक्षक राष्ट्र-निर्माता हैं। उन्हे प्रशासनिक फिल्ड की तरह इस्तेमाल करना किसी भी आधुनिक शिक्षा प्रणाली के लिए उचित नहीं। सभी पक्षों, सरकार, प्रशासन, न्यायपालिका और समाज को मिलकर यह स्वीकारना होगा कि, शिक्षक की गरिमा, शिक्षा की गुणवत्ता राष्ट्र का भविष्य, तीनों एक-दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। इसलिए आवश्यक है कि, शिक्षक अपने मूल कार्य यानी शिक्षण पर केंद्रित रह सकें, प्रशासन विशेषज्ञ एजेंसियों के माध्यम से समस्याएँ हल करें, बच्चों की सुरक्षा वैज्ञानिक और व्यवस्थित तरीके से की जाए, आवारा कुत्तों की समस्या वास्तविक है, लेकिन उसका समाधान शिक्षा तंत्र पर बोझ डालकर नहीं, बल्कि एक मजबूत और पेशेवर प्रशासनिक ढांचा तैयार करके किया जाना चाहिए।

## वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ़ खान ने दी युवाओं को सलाह - ड्रग्स और स्मार्टफोन, दोनों नशों से बचना होगा

वर्तमान समय में युवा पीढ़ी दो बड़े खतरों का सामना कर रही है - ड्रग्स का नशा और स्मार्टफोन का अत्यधिक उपयोग, जिनसे बचना बेहद आवश्यक : वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ़ खान

उत्तर प्रदेश। युवाओं को सही दिशा देने और सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से वरिष्ठ समाजसेवी मुसरफ़ खान ने आज एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा पीढ़ी दो बड़े खतरों का सामना कर रही है - ड्रग्स का नशा और स्मार्टफोन का

अत्यधिक उपयोग, जिनसे बचना बेहद आवश्यक है। नशे से जितनी दूरी रखी जाए, उतनी ही युवा अपनी जिंदगी, अपने परिवार और राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे सतर्क रहें, क्योंकि नशा किसी न किसी रूप में उन्हें अपने जाल में फँसाने की कोशिश करता रहता है।

उन्होंने आगे कहा, युवाओं को इसके खिलाफ एक नई लड़ाई लड़नी होगी। नशा तेजी से अपनी पकड़ बढ़ा रहा है, लेकिन हमें उसे अवसर नहीं देना है।

स्मार्टफोन के अत्यधिक उपयोग

पर चिंता जताते हुए उन्होंने बताया कि युवा प्रतिदिन बहुमूल्य समय खो रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि मोबाइल फोन का उपयोग धीरे-धीरे कम करें और इसे केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रखें।

उन्होंने सलाह दी कि स्मार्टफोन का अधिक प्रयोग आँखों की रोशनी को प्रभावित कर सकता है, मस्तिष्क की कार्यक्षमता को धीमा कर सकता है और युवाओं की बुद्धि व शारीरिक क्षमता पर भी दुष्प्रभाव डाल सकता है।

तकनीक की तेजी से बदलती दुनिया का जिक्र करते हुए मुसरफ़ खान ने कहा कि आज दुनिया आर्टिफिशियल

इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ड्रोन और रोबोटिक्स के युग में प्रवेश कर चुकी है। इससे खुद को अलग रखना संभव नहीं है और न ही ऐसा करना केवल आवश्यक कार्यों तक सीमित रखें।

उन्होंने युवाओं से 'शॉर्टकट से बचने' की सलाह देते हुए कहा कि सफलता का मार्ग मेहनत, लगन और सही दिशा से होकर गुजरता है। दूसरों

को दोष देने की प्रवृत्ति से निकलकर हर व्यक्ति यदि एक छोटा सा दीपक भी जलाए, तो अंधकार कहीं नहीं रहेगा।

उन्होंने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और टीम वर्क को युवाओं के लिए अनिवार्य बताते हुए कहा कि ये गुण केवल खेलों में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में काम आते हैं। साथ ही उन्होंने संस्थाओं और अकादमिक जगत से आग्रह किया कि वे भी बदलते तकनीकी दौर की चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करें और अपने भविष्य को नशे से मुक्त रखते हुए सकारात्मक ऊर्जा और तकनीक के सही उपयोग के साथ आगे बढ़ें।

## जहांगीर पुरी आई एवं जे ब्लॉक डिवाइडर रोड के अधूरे निर्माण को जल्द पूरा किया जाये: भास्कर

राहुल कुमार, नई दिल्ली। जहांगीर पुरी ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं रोज़िडेंट चेलफेयर एसोसिएशन (आई एवं जे ब्लॉक) के अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने बताया कि बादली विधानसभा क्षेत्र के वाई संख्या 18 में स्थित आई एवं जे ब्लॉक के मुख्य डिवाइडर रोड का निर्माण कार्य दीपावली से पहले पूरा किया गया था। लेकिन दीपावली बीतने के बाद लगभग तीन महीने होने को है, फिर भी यह सड़क निर्माण कार्य अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है।

भास्कर ने बताया कि अधूरे डिवाइडर रोड के कारण क्षेत्रवासियों को प्रतिदिन आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क संकरे होने के कारण लोगों की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है। अध्यक्ष एम. एल. भास्कर ने क्षेत्रीय पार्षद, सिविल लाइन जॉन के उपायुक्त तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को इस स्थिति से अवगत कराते हुए मांग की है कि आई एवं जे ब्लॉक डिवाइडर रोड के निर्माण कार्य को तत्काल पूर्ण कराया जाए, ताकि स्थानीय लोगों को आवागमन में राहत मिल सके और क्षेत्र की यातायात व्यवस्था सामान्य हो सके।



### विष्णु पद छंद (गीत)

सर्द दिसम्बर धीरे-धीरे, अंतिम पथ गढ़ता। शीत लहर चलती है जग में, पारा भी चढ़ता।।

जीवन पथ पर आगे बढ़ना, साहस गिरि चढ़ना। नई डगर पर चलना मानव, मंजिल पर बढ़ना।। समय चाल से बढ़ता जाता, धीरे-धीरे दिन बढ़ता। शीत लहर चलती है जग में, पारा भी चढ़ता।।

ऋतु बसंत का मौसम आया, फूल रोज खिलते। जीव जंतु बैठे हैं छिपकर, सुबह-सुबह मिलते।। तापमान गिरता है पल में, अंधकार बढ़ता।। शीत लहर चलती है जग में, पारा भी चढ़ता।।

घना कोहरा छाया अब तो, पानी से डरता। करे नहीं मन बिस्तर छोड़े, आलस भी करता।। पेड़ पात सब मुरझाते हैं, जीवन भी कढ़ता।। शीत लहर चलती है जग में, पारा भी चढ़ता।।

सूर्य देव के दर्शन दुर्लभ, शीत हवा चलती। आरूढ़ खेले आँख मिचौली, धूप कहीं पलती।। सूरज तापते इस टंडी में, मन में है दृढ़ता।। शीत लहर चलती है जग में, पारा भी चढ़ता।।

शैलेन्द्र परासी, साहित्यकार  
विजयराघवगढ़, मध्यप्रदेश

## केन्द्रीय विद्यालय स्लाईट में वार्षिक खेल दिवस उत्साहपूर्वक संपन्न

लौंगोवाल, 12 दिसंबर (जगसीरसिंह)-

केन्द्रीय विद्यालय स्लाईट, लौंगोवाल में वार्षिक खेल दिवस बड़े उत्साह और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। इस अवसर पर छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं विशिष्ट अतिथियों ने एकजुट होकर खेल-कौशल और टीम भावना का अद्भुत प्रदर्शन किया। समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर मणिकांत पासवान, निदेशक स्लाईट एवं अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति रहे। प्राचार्य श्री हरिहर यादव सहित वीएम्सी सदस्य, अभिभावक एवं विद्यालय स्टाफ बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। समारोह का शुभारंभ भारत स्काउट्स एवं गाइड्स की कलर पार्टी द्वारा मुख्य अतिथि के स्वागत से हुआ। दीप प्रज्वलन तथा हरित स्वागत के पश्चात् प्राचार्य ने औपचारिक स्वागत भाषण दिया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, पेड अंड आकर्षक ड्रिल्स के माध्यम से उत्कृष्ट तालमेल और उत्साह का परिचय दिया। खेल प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने कक्षा-वार और सदन-वार आयोजित दौड़, रिले रेस, एथलेटिक्स और टीम आधारित गतिविधियों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। दर्शकों के उत्साहवर्धन से प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ता रहा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पदक एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर पासवान ने खेल दिवस की सराहना करते हुए कहा कि खेल विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय प्रशासन, शिक्षकों और खेल विभाग के प्रयासों की प्रशंसा की। कार्यक्रम का समापन वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती अनीता रानी के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ हुआ। अंत में विद्यार्थियों को अल्पाहार वितरित किया गया।



## स्कालर्स प्लेवेज कालेज में आयोजित समारोह में जनप्रतिनिधियों सहित हाईकोर्ट की रीडर नेहा शुक्ला भी हुई शामिल

सुनील बाजपेई

कानपुर। शुकवार को गोविंद नगर स्थित स्कालर्स प्लेवेज में वार्षिकोत्सव 2025 के अन्तर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा खेलकूद दिवस प्रतियोगिता इस्फूर्ति - 6th तथा 2010 से 2020 सत्र तक के भूतपूर्व छात्र-छात्राओं का भव्य मिलन समारोह बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ। स्व० रतनलाल शर्मा स्पोर्ट्स स्टेडियम, किदवई नगर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ सम्पन्न हुए इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती प्रमिला पाण्डेय, महापौर, किदवई नगर से विधायक महेश त्रिवेदी, विधायक, कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल, दक्षिण भाजपा के अध्यक्ष शिवराम सिंह, भाजपा पार्षद दल के नेता और वरिष्ठ सभासद नवीन पंडित, के साथ ही हाई कोर्ट की तेजतरंगर और व्यवहार कुशल रीडर श्रीमती नेहा शुक्ला ने विद्यालय प्रबन्ध समिति के साथ दीप प्रज्वलित कर गणेश वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं द्वारा स्वागत गीत एवं मार्च पास्ट का प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के मुख्य अतिथि एवं प्रबन्ध समिति द्वारा भूतपूर्व छात्र-छात्राओं को मोमेन्टो देकर उनको सम्मानित किया



गया। इस मौके पर आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिता में विद्यालय के पी.जी. से 12 वें के छात्र-छात्राओं ने मशाल प्रज्वलित कर पीटी शो, पिरामिड योग, अरंज द ग्लास क्लिपिंग योग, टू लोग रेस टिक द बाल, गोल्फ तथा 100 मी०, 200 मी० तथा 400 मी० दौड़ प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय आने वाले छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि एवं अध्यक्ष श्रीमती शकुन्तला देवी, संचालक सुशील कुमार, सचिव गिरीश

मल्होत्रा, प्रधानाचार्या सुश्री प्रेमलता श्रीवास्तव, तथा श्री सोमिल मल्होत्रा ने पुरस्कृत किया। खेलकूद को आयोजित करने वाले अध्यापक /अध्यापिकाओं में श्रीमती रंजना पाल, श्रीमती सोनिया उप्पल, श्रीमती शारका अरशद, श्रीमती तनु प्रोवर, श्रीमती अनुराधा कालरा, श्रीमती सुरेन्द्र कौर, श्रीमती अंजू पुरी, अजय भारतीय, विकास लॉरेन्जो, चन्द्र पाल अरोड़ा, हर्षजीत साहू, जयकिशन परिहार तथा आनंद शुक्ला ने भाग लिया। कार्यक्रम की अभिभावकों और अन्य लोगों के द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा भी की गयी।

# सड़क सुरक्षा को नई दिशा देने के लिए राजधानी में चला व्यापक जागरूकता अभियान

स्वतंत्र सिंह भुल्लर नई दिल्ली

नई दिल्ली: दिल्ली। राजधानी में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने और जिम्मेदार ड्राइविंग संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक व्यापक और बहुआयामी सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का सफलतापूर्वक आयोजन किया है। यह पूरा कार्यक्रम ट्रैफिक हेडक्वार्टर के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त श्री सत्यवीर कटारा के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य दिल्ली के विभिन्न वर्गों — स्कूली छात्र-छात्राओं, साइकिल चालकों, ऑटो-टैक्सी चालकों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टॉफ, ऑफिस कर्मचारियों और आम नागरिकों — को सड़क सुरक्षा के नियमों, अनुशासित यातायात

व्यवहार और महिला सुरक्षा की जागरूकता से जोड़ना था। इन जागरूकता कार्यक्रमों में विशेषज्ञों ने लोगों को सड़क पार करने के सुरक्षित तरीकों, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन से बचने, ओवरस्पीडिंग के खतरे, हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, तथा नशे में ड्राइविंग के घातक परिणामों के बारे में विस्तार से बताया। युवाओं को सशक्त करने की दिशा में मजबूत कदम: एनसीसी कैडेट्स के लिए विशेष कार्यक्रम अभियान का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा रहा नियोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम, जो एनसीसी कैडेट्स, सफदरजंग एन्क्लेव में आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम विशेष रूप से युवा

एनसीसी कैडेट्स की ट्रेनिंग को सड़क सुरक्षा के प्रति और अधिक संवेदनशील बनाने के लिए तैयार किया गया था। इस कैम्प में 520 से अधिक एनसीसी कैडेट्स और करीब 10 सैन्य अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की। कार्यक्रम के दौरान कैडेट्स को यातायात नियमों का व्यवहारिक ज्ञान, सड़क पर अनुशासन का महत्व, तथा भविष्य के जिम्मेदार नागरिक और चालक के रूप में उनकी भूमिका के बारे में विस्तार से बताया गया। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि युवाओं को शुरुआती उम्र से ही सड़क सुरक्षा की समझ होनी चाहिए, क्योंकि यही आदतें आगे चलकर सुरक्षित समाज और जिम्मेदार ट्रैफिक

व्यवहार का आधार बनती हैं। सार्वजनिक परिवहन कर्मियों और पेशेवर ड्राइवरों के बीच भी इस तरह के कार्यक्रम अनुशासन और नियमों के प्रति बेहतर अनुपालन सुनिश्चित करने में बेहद सहायक सिद्ध होते हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की प्रतिबद्धता दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दोहराया कि वह राजधानी में सड़क सुरक्षा की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए लगातार जनता के साथ सहभागिता बढ़ाती रहेगी। उनका उद्देश्य न केवल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है, बल्कि हर नागरिक को सुरक्षित, सुविधाजनक और अनुशासित यातायात अनुभव प्रदान करना है।



## क्या प्रतिबंध ही समाधान?

### ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया कानून पर बहस



सुनील कुमार महला

सोशल मीडिया पर न्यूनतम आयु को लेकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों और किशोरों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़े नियम/कानून (सोशल मीडिया राज फोर चिल्ड्रेन) में एक अद्भुत और दुनिया-भर में चर्चित बदलाव किया है। दरअसल, ऑस्ट्रेलियाई संसद ने आनलाइन सेफ्टी अमेंडमेंट (सोशल मीडिया मिनिमम ऐज) एक्ट-2024 पास किया है, जो वास्तव में आनलाइन सेफ्टी एक्ट-2021 में एक संशोधन है। पाठकों को बताता चलूँ कि इस कानून के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए खाता (अकाउंट) रखना या बनाना प्रतिबंधित होगा। वास्तव में ऑस्ट्रेलिया का यह कानून सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बाध्य करता है कि वे 'जिम्मेदार कंटेंट' उठाएँ, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि 16-साल से छोटे बच्चे उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते (अकाउंट) नहीं रख सकें। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनियों पर जिम्मेदारी है कि वे 16 से कम उम्र के बच्चों को अपने प्लेटफॉर्म पर रखने से रोके और अगर वे ये 'रेस्पॉन्सिबल स्टेप्स' (जिम्मेदार कदम) नहीं उठाते हैं, तो उन्हें सख्त अदालत द्वारा भारी जुर्माने (सिविल पेनल्टीज) यानी कि लगभग 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग ₹30-35 करोड़ तक) का सामना करना पड़ सकता है। जो बहुत बड़ी धनराशि है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि इन विभिन्न प्लेटफॉर्मों में क्रमशः फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटोक, स्नीपचैट, रेडिट, थ्रेड्स, ट्विच, एक्स (पूर्व में जिसे ट्विटर कहा जाता था), यूट्यूब, किंग जैसे कई मुख्य सामाजिक नेटवर्क (एज रेस्ट्रिक्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म) में शामिल हैं। कुछ ऐसी सेवाएं जिन्हें प्रारंभिक रूप से संदेश भेजने, गेमिंग या शिक्षा/सहायता के लिए डिज़ाइन किया गया है (जैसे यूट्यूब किड्स, व्हाट्सएप, गिफ्टाई इत्यादि), फिलहाल अलग हैं। गौतमलभ है कि यह नियम ऑस्ट्रेलिया में 10 दिसंबर 2025 से लागू हो गया है। अच्छी बात यह है कि यह कानून सीधे बच्चों या उनके माता-पिता/संरक्षकों को दंडित नहीं करता है-यथा इसका लक्ष्य बच्चों को सजा देना नहीं, बल्कि सोशल मीडिया कंपनियों को जिम्मेदार बनाना है। इस संबंध में सरकार का यह कहना है कि यह कदम बच्चों को ऑनलाइन नुकसान, मानसिक दबाव, अवरुद्ध/हानिकारक सामग्री और अत्यधिक इंटरनेट उपयोग से सुरक्षित रखेगा। कहना गलत नहीं होगा कि यह कानून बच्चों की मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल कल्याण, और ऑनलाइन खतरों से सुरक्षा पर केंद्रित है। बहरहाल, यह बात बिल्कुल सही है कि आज इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ने दुनिया को जितना नजदीक रखा है, उतना ही लोगों को वास्तविक विश्व से दूर भी कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आभासी दुनिया (वर्चुअल वर्ल्ड) की अनगिनत सोशल मीडिया साइटों ने सीमाओं से परे संवाद का दायरा तो निश्चित ही बढ़ाया है, लेकिन इसके समानांतर यह भी एक कड़वा सच है कि वास्तविक जीवन में लोग एक-दूसरे से कटते गए हैं। आज यदि हम स्वयं अपने घरों में ही देखें तो चार लोग

अपने अपने एंड्रॉयड फोन या लैपटॉप पर व्यस्त रहते हैं और एक-दूसरे से बातचीत या संवाद तक नहीं करते, जबकि पूरी दुनिया से वे लगातार आभासी रूप से जुड़े होते हैं। स्थिति यहां तक है कि पड़ोस के बच्चे ऑनलाइन दोस्त भी हों, चैट करते हों या साथ में गेम खेलते हों, फिर भी संभव है कि वे आमने-सामने कभी न मिलें हों। यानी वर्चुअल दुनिया में बच्चों का दायरा बढ़ता है, पर जमीन पर उनका अकेलापन गहराता जाता है। यही अकेलापन धीरे-धीरे उनके मन में घर कर जाता है और उन्हें बहुत बार अवसाद, तनाव और कभी-कभी तो आत्मघाती प्रवृत्ति (सुसाइड) तक पहुंचा देता है। कई बार किसी ऐप में लड़के बच्चों के मानसिक संकट, व्यवहारिक बदलाव और आत्महत्या जैसी दुखद खबरें आए दिन मीडिया की सुर्खियों में हमारे सामने आती रहती हैं। सोशल मीडिया पर अत्यधिक सक्रियता के मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभावों को देखते हुए दुनिया भर में बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित या प्रतिबंधित करने की मांग समय-समय पर उठती रही है। इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा कदम उठाते हुए 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग से पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया है। हालांकि, संदेश भेजने और गेम खेलने वाले कुछ प्लेटफॉर्मों को इस नियम से बाहर रखा गया है। इस सख्त कानून से अब यह उम्मीद की जा रही है कि बच्चों को उनका खो रहा बचपन वापस मिल सकेगा। लेकिन इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह प्रतिबंध लागू कैसे किया जायेगा और उसे वास्तव में सोशल मीडिया के जाल से दूर रह पाते हैं या नहीं, क्योंकि डिजिटल माहौल में बच्चे अक्सर वैकल्पिक, और कई बार अनुचित, रास्ते ढूँढकर किसी भी ऑनलाइन मंच तक पहुंचने में सक्षम हो जाते हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह पाबंदी कितनी प्रभावी साबित होती है। साथ ही, अगर उम्र की पुष्टि के लिए बच्चों से कोई पहचान-पत्र या अन्य दस्तावेज मांगे जाते हैं, तो उसकी सुरक्षा, गोपनीयता और संभावित दुरुपयोग से जुड़े नए प्रश्न अनिवार्य रूप से खड़े होंगे। कुल मिलाकर, कदम ठीक ठीक है, पर उसके वास्तविक परिणाम समय और क्रियान्वयन ही तय करेंगे। यह भी कि ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए दुनिया का जो पहला कठोर कानून लागू किया है, उसका उद्देश्य उन्हें साइबर बुलिंग, फेक न्यूज, हिंसक सामग्री, ऑनलाइन शोषण और मानसिक तनाव जैसी बड़ती समस्याओं से बचाना है। ऑनलाइन से यह बात स्पष्ट होती है कि आज 11-16 वर्ष के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे सुरक्षा पर केंद्रित हैं। बहरहाल, यह बात बिल्कुल सही है कि आज इंटरनेट के कारण पूरी दुनिया बहुत ही छोटी हो गई है। दूसरे शब्दों में कहें तो इंटरनेट ने दुनिया को जितना नजदीक रखा है, उतना ही लोगों को वास्तविक विश्व से दूर भी कर दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आभासी दुनिया (वर्चुअल वर्ल्ड) की अनगिनत सोशल मीडिया साइटों ने सीमाओं से परे संवाद का दायरा तो निश्चित ही बढ़ाया है, लेकिन इसके समानांतर यह भी एक कड़वा सच है कि वास्तविक जीवन में लोग एक-दूसरे से कटते गए हैं। आज यदि हम स्वयं अपने घरों में ही देखें तो चार लोग

पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो विशेषज्ञों का यह तर्क है कि उम्र-सत्यापन जैसी तकनीकें अभी पर्याप्त विश्वसनीय नहीं हैं, जिससे इसे लागू करना मुश्किल होगा, और बच्चे वीपीएन या वैकल्पिक ऐप्स के जरिए प्रतिबंध को आसानी से पार कर सकते हैं। इससे वे उन प्लेटफॉर्मों पर पहुँच सकते हैं जो और भी कम सुरक्षित हैं, जो इस कानून के मूल उद्देश्य को ही कमजोर कर देता है। ऑस्ट्रेलिया का यह कानून भले ही बच्चों की सुरक्षा की दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम हो, लेकिन इसे लागू करना सोशल मीडिया कंपनियों के लिए बेहद महंगा और तकनीकी दृष्टि से जटिल होगा। इस कानून के संबंध में विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि कई किशोरों, खासकर विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य समूहों या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बहुत मनोरंजन नहीं, बल्कि सहारा और अभिव्यक्ति का माध्यम है। ऐसे में इस पर पूर्ण प्रतिबंध उन्हें और अधिक अकेलेपन और अलगाव की ओर धकेल सकता है। दरअसल, केवल कानून बनाकर बच्चों को डिजिटल दुनिया से काट देना न तो व्यवहारिक समाधान है और न लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि ऑस्ट्रेलिया का यह कानून कहीं न कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना तक पहुँच पर अनावश्यक अंकुश ही है। कई आलोचकों का यह भी कहना है कि सरकार ने शिक्षा, डिजिटल साक्षरता और प्लेटफॉर्म-स्तरीय सुधार जैसे संतुलित कदमों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। कुल मिलाकर, विशेषज्ञों का संदेश यह है कि इरादा भले ही सराहनीय हो, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध एक कठोर कदम है, जिसकी प्रभावशीलता संदिग्ध है और जो अनजाने में अधिक नुकसान भी पहुंचा सकता है। वास्तव में आज जरूरत इस बात की है कि बच्चों को डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा, और जिम्मेदार ऑनलाइन व्यवहार की समझ प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे खतरे पहचान सकें और सुरक्षित तरीके से इंटरनेट का उपयोग कर सकें। इसलिए निकर्य यही है कि यह कानून जोखिम को 15-25 प्रतिशत तक कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान तब ही संभव है जब समाज बच्चों को विवेक, संतुलन और सुरक्षित डिजिटल जीवन जीने का कौशल सिखाए, क्योंकि सुरक्षित भविष्य की बुनियाद तकनीक नहीं, समझ पर टिकी होती है। अंत में यही कहूँगा कि आज के एआई युग में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को पूरी तरह सही या पूरी तरह गलत कहना मुश्किल है। एक ओर यह बच्चों और किशोरों को हानिकारक कंटेंट, साइबर बुलिंग और लत से बचाने का तरीका जाना सकता है। दूसरी ओर, डिजिटल कौशल, सीखने और प्रतिक्रिया के माध्यम का बड़ा माध्यम भी सोशल मीडिया ही है। एआई-संचालित दुनिया में युवाओं को तकनीक से दूर रचना उन्हें भविष्य की जरूरी क्षमताओं से वंचित कर सकता है। बेहतर रास्ता पूर्ण प्रतिबंध नहीं, बल्कि सुरक्षित, संतुलित और निगरानी में उपयोग है-जहाँ उम्र, समय सीमा और कंटेंट नियंत्रण को समझदारी से लागू किया जाना चाहिए। फ्रीलांस राइटर, कॉलमिस्ट व युवा साहित्यकार, पिथौरागढ़, उत्तराखंड।

## जाति और अदालत : न्यायिक चर्चा और अधूरा संवैधानिक वादा

(आलेख : आर्या सुरेश, अनुवादक : संजय परातो)

सुप्रीम कोर्ट के रिसर्च और प्लानिंग सेंटर ( सीआरपी -- शोध और योजना केंद्र ) ने एक जरूरी दस्तावेज जारी किया है - जाति के बारे में न्यायिक अवधारणा पर रिपोर्ट ( 2025 ) -- जिसमें यह जांच की गई है कि भारत की सबसे बड़ी अदालत ने ऐतिहासिक रूप से जाति को कैसे समझा है। हालांकि यह रिपोर्ट संस्थागत तौर पर खुद को समझने की एक कोशिश के तौर पर बनाई गई है, लेकिन इसे ध्यान से पढ़ने पर कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बात सामने आती है : संविधान के बदलाव लाने वाले, बराबरी वाले मकसद और सामाजिक व्यवस्था में ऊँची जाति के गहरे घेरे नज़रिए के बीच न्यायपालिका के अंदर दशकों से चली आ रही एक वैचारिक लड़ाई।

यह रिपोर्ट संविधान पीठ के फैसलों का व्यवस्थित तरीके से विश्लेषण करते हुए यह दिखाती है कि न्याय की ओर निरंतरता में विधाशास्त्रीय यात्रा नहीं हुई है, बल्कि यह एक विभाजित और अक्सर अर्थविरोधी बहस है, जहाँ प्रगतिशील, रूपांतरकारी घोषणाएं प्रतिगामी, पितृसत्तात्मक और सामाजिक रूप से रूढ़िवादी सोच के साथ टकराती हैं। इस न्यायिक रिकॉर्ड का गहन विश्लेषण जरूरी है। कानून और उसकी भाषा तटस्थ नहीं हैं; वे वैचारिक संघर्ष के ऐसे मैदान हैं, जो मौजूदा शक्ति संबंधों को दिखाते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। हालांकि भारतीय न्यायपालिका ने, कुछ मौकों पर, वास्तविक समानता का एक मजबूत दृष्टिकोण पेश किया है और जाति को वंशानुगत उत्पीड़न की एक संरचना के रूप में पहचाना है, लेकिन संकीर्ण चर्चा लगातार उदार औपचारिकतावाद, ब्राह्मणवादी व्याख्या और मूलगामी पुनर्वितरण को मंजूरी देने में बुरा आहिंचिकाहट से घिरी हुई है। इसका नतीजा यह हुआ है कि एक ऐसे विधि शास्त्र का निर्माण हुआ है, जो अक्सर उन्हीं ऊँच-नीच को सही ठहराता है, जिन्हें वह खत्म करने का दावा करता है और यह संविधान की समानतावादी भावना के खिलाफ जाता है।


अंबेडकर खुद भी संविधान की सीमाओं और जाति को खत्म करने के लिए इसके नाकामी हथियार होने के बारे में जानते थे। 25 नवंबर, 1949 को संविधान को अपनाने के मौके पर अपने महशूर भाषण में उन्होंने कहा था: "भारत में जातियाँ हैं। जातियों को धारणा राष्ट्र-विरोधी थी। सबसे पहले तो इसलिए, क्योंकि ये सामाजिक जीवन में अलगाव पैदा करती हैं। ये इसलिए भी राष्ट्र-विरोधी हैं, क्योंकि ये जाति और जाति के बीच जलन और नफरत पैदा करती हैं। लेकिन अगर हम सचमुच में एक राष्ट्र बनना चाहते हैं, तो हमें इन सभी कठिनाईयों पर काबू पाना होगा। जहाँ राष्ट्र हों, वहीं भाईचारा एक सच्चाई बन सकता है। भाईचारे के बिना समानता और आजादी सिर्फ रंग रोगन जैसा होगा।

कॉमरेड जी. वी. रणदिवे के अनुसार, ये कमजोरियाँ इसलिए थीं, क्योंकि आजादी की लड़ाई का नेतृत्व जिस राष्ट्रीय बुजुर्गों के हाथों में था, वह समस्या की जड़ तक जाने और उसे खत्म करने में दिलचस्पी नहीं रखता था। सीआरपी रिपोर्ट सही तरीके से यह बताती है कि सुप्रीम कोर्ट अल्पसंख्यक जाति को सही समझता है, इसमें एक बुनियादी विरोधाभास है। यह विरोधाभास सिर्फ अकादमिक नहीं है; इसका सीधा असर उन सुधारों पर पड़ता है, जिनकी इजाजत संविधान करता है।

एक तरफ, न्यायशास्त्र की एक मजबूत धारा है, जो जाति को एक टोस, शोषणकारी ढाँचे के रूप में पहचानती है। चिन्मया रेड्डी ( वसंत कुमार, 1985 ), रत्नवेल पांडियन और बी.पी. जीवन रेड्डी ( इंद्रा सहानी, 1992 ) जैसे न्यायविदों ने जाति-पेशा-गरीबी के चक्र और सामाजिक पहचान के अटूट बंधन को विस्तार से बताया, और उन्होंने जोर दिया कि एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था में जाति श्रेणीबद्ध असमानता का एक रूप है। यह विचार जिस्टिस चंद्रचूड़ के सबरीमाला फैसले ( 2018 ) में इस जोरदार बात के साथ खत्म होता है कि परिव्रता और अपवित्रता की धारणाओं की, जो जाति का मूल हैं, रसंवैधानिक व्यवस्था में कोई जगह नहीं हो सकती है जाति को उत्पादन और शक्ति के एक सामाजिक संबंध के रूप में देखने की जरूरत है और इसे संरचनात्मक रूप से खत्म करने की जरूरत है।

दूसरी ओर, अदालत ने जाति के एक आदर्शवादी और साफ-सुथरे संस्करण को बार-बार मान्यता दी है और उसे सही ठहराया है। जाति के अच्छे मूल के बारे में यह बात कहनी कि जाति सिर्फ सक्रियता और पेशे के आधार पर एक विभाजन है, जो बाद में विकृत हो गया ( जैसा कि बालाजी, 1963 में हुआ ), न केवल एक ऐतिहासिक गलती है, बल्कि एक वैचारिक गलती भी है। यह एक आलोचनात्मक कृत्य को प्रदर्शित करता है। यह ऊँच-नीच के लिए धार्मिक मंजूरी के साथ वर्णवादी विचारधारा, और जाति के टोस और हिंसक व्यवहार के बीच के संबंध को जोड़ता है। एक शुद्ध, पेशे वाले अतीत से गिरावट को बात कहना ब्राह्मणवाद ( मनुस्मृति, पुरुषसूक्त ) की दार्शनिक और धार्मिक बुनियाद को दोष से बरी करना है। इसी तरह, जाति को एक स्वायत्त संगठन ( गुंजर मेडिकल कॉलेज, 1976 ), एक स्व-शासित सामाजिक समूह के रूप में बताना, इसकी जोर-जबरदस्ती वाले, वंशानुगत और बहिष्करण की प्रकृति को छिपाता है, और इसे जबरन अधीनता के बजाय स्वीच्छक सांस्कृतिक व्यवहार का मामला बनाता है।

इस दोहरेपन के जोस असर होते हैं। मुसलमानों, ईसाईयों और सिखों में जातियों के बने रहने के जबरदस्त सबूतों के बावजूद, जाति को सभी धर्मों में फैली एक सामाजिक सच्चाई के तौर पर पूरी तरह से मानने में हिचकिचाहट ( जो इंद्रा सहानी केस में कुलदीप सिंह के अलग, मतभेद फैसले में साफ दिखती है ), जाति को सिर्फ एक हिंदू संस्कृति के तौर पर सीमित रखने की इच्छा दिखाती है। यह न केवल दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों के रोजमर्रा के जीवित अनुभव को नजरअंदाज करता है, बल्कि राय को गैर-हिंदू समुदायों में जातिगत उत्पीड़न को खत्म



करने की जिम्मेदारी से भी बचाता है, न कि सिर्फ इसके हिंदू धार्मिक औचित्य को। यह रुख इस प्रथा को खत्म करने के संवैधानिक आदेश का उल्लंघन है। अनुसूचित जाति और जनजाति की व्याख्या करने के लिए इस्तेमाल की गई भाषा अदालत की अंदरूनी सोच का एक साफ संकेत है। सीआरपी की रिपोर्ट में बहुत ज्यादा समस्यापूर्ण रूपों पर गहराई से ध्यान दिया गया है: दौड़ के घोड़े और विकलांग वाली तुलना ( देवदासन, 1964 ), वो बैसाखियों, जो ज़िंदगी भर नहीं दी जा सकती ( इंद्रा सहानी, 1992 ) और आदिवासी जीवन को मुख्यधारा के लिए पिछड़ा और अयोग्य दिखाना ( चेन्नैल्लू लीला प्रसाद, 2020 )। यह सोच सिर्फ पुरानी ही नहीं है; यह संरचनात्मक रूप से पितृसत्तात्मकता पर आधारित है और दोषपूर्ण है।

ऐसी भाषा प्रतिगामी लक्ष्यों को पूरा करती है। सदियों की व्यवस्थित हिंसा और भेदभाव को एक कमी के रूप में दिखाना, एक ऐतिहासिक और सामाजिक गलती को एक व्यक्तिगत कमी में बदल देता है। फिर इसका समाधान सुधारवादी न्याय के बजाय धर्मार्थ परोपकार ( बैसाखी ) के रूप में दिखाता है।

घोड़ों की दौड़ वाला रूपक यह मानकर चलता है कि प्रथम-श्रेणी दौड़ का घोड़ा ( ऊँची जाति ) स्वाभाविक रूप से बेहतर होता है। आम घोड़ा ( दलित ) स्वाभाविक रूप से धीमा होता है, जिसे आगे बढ़ने के लिए शुरूआती बढ़त की जरूरत होती है। यह जाति पदानुक्रम को स्वाभाविक बनाता है और जनजात क्षमता के जैविक या सांस्कृतिक सिद्धांत को चुपके से शामिल करता है। आदिवासी समाजों को पिछड़ा और राष्ट्रीय विकास में योगदान देने के लिए उसके उत्थान की जरूरत बताता औपनिवेशिक और आत्मसात करने वाली सोच की प्रतिध्वनि है।

इसकी तुलना जिस्टिस चिन्मया रेड्डी ( वसंत कुमार ) जैसे लोगों के फैसले में इस्तेमाल की गई दमदार, गरिमा-भरी भाषा से करें, जिसमें कहा गया था कि दबे-कुचले लोगों की मांगें अधिकारी को बात हैं, दान की नहीं... ये बराबरी मांगों की हैं, धीमा नहीं है। या जिस्टिस चंद्रचूड़ ( सबरीमाला ) द्वारा बताई गई उन अत्याचारों की बेबाक सूची से करें, जो इंसाफित को नकारने वाली एक व्यवस्था के तौर पर जाति को सामने लाते हैं। यह दूसरा नज़रिया संविधान की बदलाव लाने वाली भावना से मेल खाता है, जो दबी-कुचली जातियों को दया का पात्र नहीं, बल्कि इतिहास का हिस्सा और अटूट अधिकारों का हकदार मानता है।

इस गलत सोच का सबसे खतरनाक रूप कुशलता और योग्यता पर होने वाली बाबतसे ही दिखता है। शुरुआती फैसलों में खुले तौर पर यह चिंता जताई गई थी कि आरक्षण से मानकों में गिरावट आएगी ( देवदासन ), या सरकार का काम ठप हो जाएगा ( एन.एम. थॉमस, 1976 )। यह कुशलता को एक निरपेक्ष, तकनीकी मूल्यों के रूप में दिखाता है, जिसे दलितों और आदिवासियों को शामिल करने से खतरा है। बाद के फैसले, जैसे कि इंदिरा सहानी और एम. नाराज ( 2006 ) ने यह मानना शुरू किया कि योग्यता का पैमाना सामाजिक रूप से बनाया गया है और संदर्भों पर निर्भर करता है। बहरहाल, पहले के फैसले एक गहरे बैठे जातिगत भेदभाव को दिखाते हैं; उच्च जाति के विशेषाधिकार को योग्यता के साथ मिलाते हैं और सामाजिक न्याय की अवधारणा को इसके विरोध में दिखाते हैं। यह बताता है कि आर्थिक रूप से कमजोर तबकों ( अजा/जजा/ओबीसी को छोड़कर ) के लिए आरक्षण को सही ठहराने वाले हालिया फैसले में कुशलता के बारे में ऐसी कोई चिंता नहीं जताई गई है, जिससे मूल चिंता का जाति आधारित स्वभाव सामने आता है।

उपचारों पर न्यायपालिका की चर्चा उसके बदलाव लाने की महत्वाकांक्षा की आखिरी सीमा को दिखाती है। यहाँ, एक आमूलतः परिवर्तन लाने वाले संवैधानिक आदेश न्यायिक रूप से गरीबी के कारण है। यह जाति की जगह वर्ग को लाने की एक शास्त्रीय उदारवादी चाल है, जो अलग-अलग वर्गीकृत, असमानता की सामाजिक रूप से स्वीकृत पदानुक्रम को एक आर्थिक ढाल में बदल देती है। सीआरपी रिपोर्ट ने सही ढंग से सबूतों के साथ बताया है कि समाजशास्त्र के हिसाब से यह दिवालिया सोच है। जाति पूंजी, क्रेडिट, नेटवर्क और बाज़ारों तक पहुंच तय करती है, जैसा कि दलित उद्यमियों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर हृदय अथयन्त्रों से पता चलता है। संपत्ति जाति के कलंक को खत्म नहीं करती; एक अमीर दलित भी दलित ही रहता है। जबकि छुआछूत और भेदभाव की प्रथाएं जारी हैं, दलित दूल्हों को घोड़े पर चढ़ने के लिए पीट-पीटकर मार डालने

की घटनाएं नियमित अंतराल पर रिपोर्ट की जाती हैं, साथ ही दूसरे तरह के अत्याचार भी होते रहते हैं। रवींद्रन ( अशोक कुमार ठाकुर ) जैसे न्यायाधीश यह चिंता जताते हैं कि जाति-आधारित आरक्षण जाति को बढ़ावा देता है और एक विभाजित समाज का निर्माण करता है। यह दृष्टिकोण पूरी तरह से अनैतिहासिक है। उपचारात्मक उद्देश्यों के लिए जाति को मान्यता देने से जाति कायम नहीं रहती; वह कायम रहती है शादी, पड़ोस, कार्यस्थलों और सामाजिक पारस्परिकता में रोजाना के व्यवहार से और जमीन, संपत्ति और शैक्षणिक संसाधनों के मूलगामी पुनर्वितरण में राज्य की नाकामी से। यह तर्क देना कि नीतिगत रूप से जाति का नाम लेना बंद करने से वह खत्म हो जाएगा, एक तरह का कानूनी आदर्शवाद है।

यह मानना कि सिर्फ शिक्षा से जाति खत्म हो जाएगी ( अशोक कुमार ठाकुर ), इस बात को नजरअंदाज करता है कि शैक्षणिक संस्थान खुद भी भयानक जातिगत भेदभाव और बहिष्कार की जगह हैं। यह शायद रिपोर्ट में दर्ज सबसे भोली मान्यताओं में से एक है। रोहित वेमुला से लेकर पायल तांडवी तक, आईआईटी से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक, सबूत बहुत ज्यादा हैं: आधुनिक शिक्षा जाति को खत्म नहीं करती; यह अक्सर दलित छात्रों के साथ होने वाली दुश्मनी को और बढ़ा देती है।

इसी तरह, बहिष्करण को संबोधित करने के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ( सीएसआर ) की मांग ( जयश्री पाटिल, 2021 ), हालांकि अच्छी नीयत से की गई है, लेकिन संवैधानिक जिम्मेदारी को पूंजीवादी परोपकार की मनमंजी पर छोड़ देती है। यह बहिष्करण को निजी क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के कानूनी रूप से लागू होने वाले अधिकार के बजाय कॉर्पोरेट संवेदनशीलता का मामला बनाती है, एक ऐसा अधिकार जिसे न्यायपालिका अनुच्छेद 15 या 16 के साथ पढ़ने में हिचकिचा रही है। ये तरीके अनिवार्य, न्यायपूर्ण पुनर्वितरण के बजाय स्वीच्छक और गैर-राजनीतिक समाधानों को बढ़ावा देती हैं।


सीआरपी रिपोर्ट अपना साफ-साफ, अंदरूनी जांच के लिए एक बहुत जरूरी दस्तावेज है। बहरहाल, इसकी असली अहमियत इसकी सावधानी भरी, संस्थागत भाषा में नहीं है, बल्कि यह जिस तरह से और ज्यादा मौलिक आलोचना के लिए गोला-बारूद देती है, उसमें है। यह रिपोर्ट एक ऐसी न्यायपालिका को दिखाती है, जो ज्यादा से ज्यादा, जाति के खिलाफ लड़ाई में एक अन्तर्विरोधी सहभागी है।

न्यायिक बातचीत, अपने सबसे प्रगतिशील रूप में भी एक उदारवादी संवैधानिक ढाँचे के अंदर काम करती है, जो असमानता पैदा करने वाली संरचनाओं को खत्म करने के बजाय उसका प्रबंधन करना चाहता है। इसके आरक्षण, भेदभाव विरोधी कानून, जैसे आजाद जरूरी तो हैं, लेकिन काफी नहीं हैं। वे एक व्यवस्था को प्रभावित करने की सुविधा तो देते हैं, लेकिन व्यवस्था के बुनियादी तर्कों को नहीं बदलते।

तानाशाही हिंदुत्व की राजनीति का उदय, जो जातिगत उत्पीड़न को बहुसंख्यकवादी प्रतीकों से ढंककर एक समूह हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है, उसे न्यायिक फैसलों में अंदरखाने समर्थन मिलता है, जो जाति को कम करके आंकी है, इसकी उत्पत्ति को रोमांटिक बनाती है, या इसे एक ऐसी विभाजनकारी पहचान मानती है, जिसे पार करने की जरूरत है। एक न्यायपालिका, जो अविचल और निर्भीक तरीके से सत्ता की एक क्रूर व्यवस्था के रूप में जाति को पहचानने में नाकाम रहती है, वह उन ताकतों को बढ़ावा देती है, जो दलितों की आवाज़ को दबाना चाहती हैं। जाति को पूरी तरह से अलग करने के लिए भूमि के पुनर्वितरण, उत्पादन के संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण और ब्राह्मणवादी सांस्कृतिक दबदबे को खत्म करने पर आधारित एक मूलगामी राजनीतिक कार्यक्रम जरूरी है। माकपा का पार्टी कार्यक्रम जाति व्यवस्था को खत्म करने के संघर्ष को जनवादी क्रांति का एक जरूरी हिस्सा मानता है और इसे वर्गीय शोषण के खिलाफ संघर्ष से जोड़ता है। बहुत पहले 1979 में, ई.एम. एस नंबूद्रीपाद ने लिखा था, "यह समझना होगा कि भारत का आधुनिक, लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष आधार पर निर्माण करने के लिए जाति-आधारित हिंदू समाज और उसकी संस्कृति के खिलाफ बिना किसी समझौते के संघर्ष करना होगा। जब तक भारत की 'सदियों पुरानी' सभ्यता और संस्कृति का गढ़, समाज का जातियों के पदानुक्रम में बँटवारा - खत्म नहीं हो जाता, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र सवाल ही नहीं उठता, समाजवाद की तो बात ही छोड़िए। दूसरे शब्दों में, मूलगामी लोकतंत्र और समाजवाद के लिए संघर्ष को जाति-आधारित समाज के खिलाफ संघर्ष से अलग नहीं किया जा सकता।

(लेखक विधि विशेषज्ञ हैं। अनुवादक अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्रीसमूह किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं।)

## आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता



डॉ. विजय गर्ग

एक समय था, जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना, कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचाना भर समाप्त जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक, टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं।

लाइब्रेरियन अब सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं उनका पेशा अब आधुनिक टेक संचालित हो चुका है। ई-रिसोर्सेज की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने उसकी भूमिका स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दी। वह अब स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कंपनियों के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में लाइब्रेरियन की डिजिटल दक्षता, डेटा इंटेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि काम आती हैं।

एक समय था, जब लाइब्रेरियन का काम केवल किताबों की अलमारियों में किताबों को व्यवस्थित रखना, कैटलॉग तैयार करना और पाठकों को आवश्यक पुस्तक तक पहुंचाना भर समाप्त जाता था। लेकिन पिछले एक दशक में भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसके चलते अब लाइब्रेरियनशिप एक पारंपरिक सेवा से बदलकर अत्यंत आधुनिक, टेक संचालित और रणनीतिक कैरियर बन चुका है। आज लाइब्रेरियन सिर्फ पुस्तकों के संरक्षक नहीं बल्कि डिजिटल नॉलेज मैनेजर हैं। इन्हें डाटा क्यूरेटर, लर्निंग टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफार्मेशन नैविगेटर भी कह सकते हैं। वास्तव में भारत सरकार की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी पहल ने विश्वविद्यालयों में ई-रिसोर्सेज की उपलब्धता, ऑनलाइन जर्नल की सदस्यता और ई-गवर्नेंस ने लाइब्रेरियन की भूमिका को



पहले से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वर्सेटाइल बना दिया है। लाइब्रेरियन केवल भौतिक पुस्तकों को ही नहीं बल्कि ई-बुक, ई-जर्नल, डेटा बेस, ओपन सोर्स रिपॉजिटरी, डिजिटल आर्काइव्स आदि का भी संचालन करता है। इसलिए आज के लाइब्रेरियन के पास डिजिटल रिपॉजिटरी मैनेजमेंट, डेटा माइग्रेशन, मेटा डेटा स्कीम और क्लाउड आधारित लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कोशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है।

आधुनिक लाइब्रेरी अब आईएलएस (इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम) आरएफआईडी, एआई आधारित सर्च सिस्टम और ऑटोमेटिक कैटलॉगिंग का उपयोग करती है। इस बदलाव के कारण लाइब्रेरियन अब केवल रिकॉर्ड दर्ज करने वाले व्यक्ति नहीं बल्कि एआई फ्रेंडली, नॉलेज आर्किटेक्ट बन गये हैं। आज की डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, जिनमें कोशल होना आवश्यक है। ऐसे ज्ञान से लैस पेशेवरों की मांग विश्वविद्यालयों, सरकारी संस्थानों, शोध केंद्रों और कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत तेजी से बढ़ी है।

लि एआई टूल के पैरामीटरों को समझना, इन तमाम तकनीकों ने लाइब्रेरियन के कार्यक्षेत्र को बढ़ाया है।

डिजिटल स्किल्स ने खोले नये रोजगार क्षेत्र डिजिटल कुशल लाइब्रेरियन अब केवल स्कूल, कॉलेज तक सीमित नहीं बल्कि कई कंपनियों अब नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम चलाती हैं। यहां लाइब्रेरियन डिजिटल दक्षता, डेटा इंटेक्सिंग, कंटेंट क्यूरेशन, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आदि बहुत काम आती हैं। लाइब्रेरियन आज ई-लर्निंग कंटेंट स्पेशलिस्ट बन चुके हैं। वो ऑनलाइन शिक्षा, एलएमएस प्लेटफॉर्म आदि के बढ़ने

से कंटेंट टैगिंग, डिजिटल लर्निंग रिसोर्सेस की मैपिंग और यूजर बिहेवियर एनालिसिस आदि का भी काम करते हैं। आजकल लाइब्रेरियन को डिजिटल आर्किविस्ट भी कहा जाता है। ये अखबारों, सरकारी दफ्तरों और संग्रहालयों आदि में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल करने का काम करते हैं। यहां लाइब्रेरियन की मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट पिज्वेशन स्कीम काम आती है। रिसर्च डेटा मैनेजर जैसी पोस्ट भी आजकल लाइब्रेरियन को मिल रही हैं, जिससे वो शोध संस्थानों में डेटा संग्रह, वर्गीकरण, सांख्यिकीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखना और ओपन एक्सेस नीतियों का पालन कराते हैं।

शिक्षण सहायक भी नई शिक्षा नीति 2020 के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में लाइब्रेरियन छात्रों की डिजिटल साक्षरता, रिसर्च मेथडोलॉजी, प्लेजरिज्म अवैरनेस और डेटा बेस नैविगेशन जैसे विषयों पर मुख्य मार्गदर्शक बनकर उभरे हैं। ये परिवर्तन लाइब्रेरियन को शिक्षा व्यवस्था का सक्रिय सहयोगी बनाते हैं। इससे लाइब्रेरियन की प्रतिष्ठा और भूमिका दोनों मजबूत हुई हैं। डिजिटल इंडिया और स्मार्ट लाइब्रेरी के इस नये युग में स्मार्ट सिटी मिशन, डिजिटल ग्राम लाइब्रेरी आदि के बढ़ने से लाइब्रेरियन के रोजगार में क्षेत्रीय विस्तार हुआ है। ग्रामीण और शहरी

दोनों स्तरों पर लाइब्रेरियन का रूप बदल गया है। आईटी आधारित, सेल्फ चेक इन/आउट स्टेशन, क्लाउड कैटलॉग और मोबाइल ऐप-बेस्ड लाइब्रेरी सेवाएं- ये सब डिजिटल दक्षता की वजह से संभव हुआ है।

कोशल और तकनीक का संगम आज भारतीय लाइब्रेरियन कई तरह के डिजिटल दक्षताओं के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। मसलन कोहा, डी-स्पेस, ई-ग्रंथालय जैसे सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मसलन -मेटा डेटा की विशेषज्ञता, डिजिटल प्रिजर्वेशन, वेब डिजाइन की समझ, साइबर सुरक्षा और गोपनीयता के कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का संचालन। ये कुशलताएं आज लाइब्रेरियन में होनी ही चाहिए। लाइब्रेरियन का वेतन भी अब पहले से बेहतर हुआ है। सरकारी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थान 45 हजार से 1 लाख 20 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन देते हैं। 1 लाख 50 हजार रुपये प्रतिमाह हो सकता है। डिजिटल आर्किविस्ट/कंटेंट क्यूरेटर को 40 हजार से 1 लाख रुपये प्रतिमाह और रिसर्च डेटा मैनेजर को 70 से 1 लाख 40 हजार रुपये तक का प्रतिमाह वेतन आसानी से मिल जाता है। इस तरह डिजिटल तकनीक ने लाइब्रेरियन का प्रोफेशनल विकास, प्रतिष्ठित और बहुआयामी बना दिया है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

## मूल्य-आधारित शिक्षा: एक सभ्य दुनिया के लिए आवश्यक

इतिहास से पता चलता है कि सदियों से मनुष्यों ने लिंग, जाति, पंथ, नस्ल, शारीरिक या मानसिक ताकत, आर्थिक शक्ति, संगठनात्मक क्षमताओं या एकता के आधार पर अन्य मानव और जीवित प्राणियों का शोषण किया है। इसी तरह, शक्तिशाली और शक्तिशाली राष्ट्रों और समुदायों ने अपनी कमजोरियों के कारण कमजोर और गरीब देशों और समुदायों का शोषण किया है। अशिक्षित और गरीब लोगों का शोषण दुनिया भर में एक ज्ञात वास्तविकता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं, शक्तिशाली या तथाकथित शिक्षित लोगों ने लंबे समय से अशिक्षित, अनपढ़ और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों को गुलामी या बंधुआ मजदूरी के रूप में इस्तेमाल किया है, उन्हें अपने लिए जीवन आसान और अधिक आरामदायक बनाने के लिए अमानवीय परिस्थितियों में काम करने के लिए मजबूर किया है। भूमि मालिकों के रूप में, पुरुषों ने मिट्टी के टिलर का शोषण किया है। उद्योगपतियों के रूप में, उन्होंने अत्यंत कम मजदूरी पर श्रमिक वर्ग से श्रम निकाला है।

पूँजीपतियों और मनीलॉन्ड्स के रूप में, उन्होंने धन और अचल संपत्ति पर उच्च ब्याज दरों की मांग की है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रमुखों के रूप में, उन्होंने कच्चे माल और श्रम को सस्ती दरों पर आयात किया है और वैश्विक बाजारों में निर्मित वस्तुओं का निर्यात किया है, जो अर्थ-औद्योगिक या गैर-औद्योगिक देशों की कीमत पर अपने खजाने भरते हैं। शोषण की खोज में, कोई सीमा कभी निर्धारित नहीं की गई है। यह न केवल शोषण है बल्कि मजबूत लोगों द्वारा कमजोरों का सक्रिय उत्पीड़न भी है। यहां तक कि दूसरों को कुच देने पर भी, छिपे हुए उद्देश्य अक्सर नाम, प्रसिद्धि, प्रशंसा या श्रेय प्राप्त करने के लिए और जल्दी या बाद में पुस्कृत किया जाना था। केवल शायद ही कभी व्यक्तियों ने शुद्ध प्रेम, सहानुभूति, करुणा या चिंता से बलिदान किया है। यह दर्शाता है कि धन, मशीनें, संसाधन, सैन्य शक्ति और राजनीतिक प्रभाव का उपयोग स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा बार-बार दूसरों का शोषण करने के लिए किया गया है। शोषण व्यापक परेशानी और उथल-पुथल का

कारण बनता है। क्या इसे मानवता को बचाने के लिए समाप्त किया जा सकता है? कई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पारस्परिक समस्याओं को केवल तभी हल किया जा सकता है जब सार्वभौमिक प्रेम शोषण का स्थान ले। यदि बहुतायत और समृद्धि शोषण के सभी प्रोत्साहनों को हटा देती है, तो शोषण समाप्त हो सकता है। सार्वभौमिक प्रेम की भावना दुनिया भर में कैसे प्रज्वलित हो सकती है? कुंजी शिक्षा है।

प्यार की भावना को जागृत और मजबूत करना केवल शिक्षा के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है जो भावनाओं को महान बनाता है। मूल्यों पर आधारित शिक्षा और प्रेम को परिकृत या आध्यात्मिक बनाने के व्यावहारिक तरीकों के बिना, अपराध और अराजकता बढ़ेगी। इस शिक्षा के बिना मानव अधिकारों पर चर्चा का कोई मतलब नहीं है। कोई भी समाज, चाहे वह कितना भी विकसित क्यों न हो, अपराध से भरा होगा यदि उसके लोगों को उचित मूल्य शिक्षा का अभाव है। दुर्भाग्य से, सत्ता में बैठे लोग अक्सर इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि प्रगति, शांति और खुशी भावनात्मक प्रशिक्षण और मूल्य शिक्षा पर कितनी गहराई से निर्भर करती है, विशेष रूप से प्रेम की शिक्षा।

सरकारें और संगठन संघर्षों और समस्याओं को हल करने के लिए प्रति वर्ष ट्रिलियन खर्च करते हैं, फिर भी शोषण जारी रहता है क्योंकि संघर्ष समाधान में वास्तविक नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का अभाव होता है। नेताओं के लिए यह समझने और भविष्य की पीढ़ियों को चल रहे विनाश से बचाने के लिए गंभीरता से कार्य करने का समय है। शिक्षा के लिए यह दृष्टिकोण चरित्र, सहानुभूति, जिम्मेदारी और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण करता है, जो व्यक्तियों को नैतिक पथ चुनते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं। मूल्य-आधारित शिक्षा शोषण को दूर करने और एक सभ्य, सामंजस्यपूर्ण दुनिया बनाने के लिए आवश्यक नींव प्रदान करती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल एजुकेशनल कॉलमिस्ट एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट स्ट्रीट कुर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

## देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है

डॉ. विजय गर्ग

देश की आबादी तेजी से बूढ़ी हो रही है। अनुमान है कि 2036 तक बुजुर्गों की संख्या 227.4 मिलियन हो जाएगी। स्वास्थ्य सेवा, सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक निर्भरता और डिजिटल सुविधाओं जैसी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं। लोकसभा में कांग्रेस सांसद सी. के. कुमार रेड्डी के एक प्रश्न के उत्तर में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा गठित जनसंख्या अनुमान तकनीकी समूह के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की संख्या 2011 में 10.16 करोड़ से बढ़कर 2036 में 227.4 करोड़ होने का अनुमान है। इसी अवधि में कुल जनसंख्या में उनकी हिस्सेदारी 84 प्रतिशत से बढ़कर 14.9 प्रतिशत होने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक 7 भारतीयों में से एक वरिष्ठ नागरिक होगा। 2036 तक, अनुमानित जनसंख्या 153 करोड़ होगी। नीति आयोग का अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वर्ष 2023 में नीति



आयोग ने कहा था कि विश्व भर में वरिष्ठ नागरिकों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। भारत में भी जन्म दर में गिरावट और स्वास्थ्य जागरूकता में कमी के कारण बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। आयोग ने अनुमान लगाया था कि 2050 तक कुल आबादी का

19.5 प्रतिशत बुजुर्ग होंगे, जो वर्तमान में 10 प्रतिशत है। अनुमान है कि 2050 तक हर पांचवां भारतीय बुजुर्ग होगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए 'अव्यथा' योजना बनाई गई है। गृह राज्य मंत्री ने कहा कि बुजुर्ग आबादी में तेजी से हो रही वृद्धि स्वास्थ्य, सामाजिक,

आर्थिक और डिजिटल क्षेत्रों में चुनौतियां खड़ी करेगी। इन उभरती चिंताओं को देखते हुए, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 1 अप्रैल, 2021 से अत्यायु व अभुदय योजना (अव्यय) लागू की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को आवास, भोजन, चिकित्सा देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार करना है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ उनके उत्पादक और सक्रिय वृद्धावस्था को बढ़ावा देने के लिए, इस योजना के तहत देशभर के वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। सरकार ने राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का भी गठन किया है, जिसका अध्यक्षता सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री करते हैं। इस परिषद में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हैं, जो वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मुद्दों पर सलाह देते हैं।

सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शैक्षिक स्तंभकार

## वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. 'मानव' को चेन्नई में मिला विशिष्ट साहित्य-सेवा सम्मान

\*तमिलनाडु राजभवन में राज्यपाल आरएन रावो ने किया सम्मानित\*

नारनौला (डॉ सत्यवान सौरभ) वरिष्ठ साहित्यकार डॉ. रामनिवास 'मानव' को, भाषा, साहित्य और अनुवाद के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के दृष्टिगत, आर. के. चेन्नई में विशिष्ट साहित्य-सेवा सम्मान प्रदान किया गया। तमिलनाडु राजभवन और सीआईसीटी, भारत सरकार, चेन्नई द्वारा महाकवि सुब्रमण्यम भारती की 144वीं जन्म-जयंती और भारतीय भाषा दिवस-2025 के उपलक्ष्य में, राजभवन में आयोजित एक भव्य समारोह में तमिलनाडु के राज्यपाल महामहिम आरएन रवि ने शॉल और प्रतीक-चिह्न भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस अवसर पर राजभवन के प्रधान सचिव और

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आर. किलोश कुमार, सीआईसीटी की उपाध्यक्ष डॉ. सुधा शोषेया और निदेशक प्रो. आर. चंद्रशेखरन सहित देश-भर से आये विभिन्न भाषाओं के शताधिक विद्वान, साहित्यकार और अनुवादक उपस्थित रहे। बता दें, डॉ. 'मानव' ने इसी वर्ष महान तमिल संत-कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ 'तिरुक्कुरल' का हरियाणवी भाषा में काव्यानुवाद किया था, जिसके लिए उन्हें डेढ़ लाख का मानदेय प्राप्त हुआ है। 'तिरुक्कुरल' का हरियाणवी अनुवाद शौर्य पुस्तक-रूप में प्रकाशनाधीन है।

उल्लेखनीय है कि हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी, पंचकूला की परामर्श समिति के सदस्य तथा सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी



बड़ी (राजस्थान) में बतौर आचार्य एवं अधिष्ठाता, सांस्कृतिक संकाय के रूप में प्रतिष्ठित डॉ. 'मानव' की विभिन्न विधाओं की चौंसठ

महत्त्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं तथा उनके साहित्य पर एमफिल हेतु इकायान बार, पीएचडी हेतु टेईस बार और डॉलिट हेतु एक बार शोधकार्य सम्पन्न हो चुका है। देश-विदेश की सतर प्रमुख बोलियों और भाषाओं में उनकी विविध रचनाओं का अनुवाद हो चुका है, वहीं अनेक बोर्डों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में भी उनकी रचनाएं सम्मिलित हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी, चंडीगढ़ के 'सर्वश्रेष्ठ कृति-पुरस्कार' और मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, भोपाल के 'अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय कविता-पुरस्कार' सहित देश-विदेश के अनेकानेक पुरस्कार, सम्मान और मानद उपाधियों भी डॉ. 'मानव' को प्राप्त हो चुकी हैं।

## क्या या एआई खत्म कर देगी लेखक प्रजाति? - अवसर और आशंकाओं का द्वंद्व

डॉ विजय गर्ग

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उदय ने हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है, और लेखन जगत भी इससे अछूता नहीं है। सीअचटीजीपीटी जैसे शक्तिशाली जेनेरेटिव एआई मॉडल ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या एआई लेखकों की प्रजाति को खत्म कर देगा?

यह प्रश्न जितना सीधा है, इसका उत्तर उतना ही जटिल। विशेषज्ञ इस विषय पर बंटे हुए हैं। जहाँ कुछ इसे रचनात्मकता के लिए एक आसन्न खतरा मानते हैं, वहीं कई इसे मानवीय लेखन को बढ़ाने वाले एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में देखते हैं।

एआई से जुड़ी मुख्य आशंकाएँ: खतरा या चुनौती? नौकरियों का नुकसान: एआई बहुत तेजी से और कम लागत पर सामग्री (कॉन्टेंट) तैयार कर सकता है। इससे खासकर रूटीन या दोहराए जाने वाले लेखन कार्यों (जैसे डेटा-आधारित रिपोर्ट, सामान्य समाचार, या शुरुआती ड्राफ्टिंग) में लगे लेखकों की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। मौलिकता का अभाव: एआई मॉडल मौजूदा डेटा के विशाल भंडार पर प्रशिक्षित होते हैं। आलोचकों का मानना है कि एआई-जनित सामग्री में अक्सर मौलिक विचारों, गहन मानवीय भावनाओं, सांस्कृतिक संदर्भों और निजी अनुभवों की कमी होती है, जो एक उत्कृष्ट कृति के लिए



आवश्यक है। साहित्यिक चोरी का खतरा: एआई द्वारा बनाई गई सामग्री, जो मौजूदा इंटरनेट डेटा पर आधारित होती है, उस पर अनजाने में साहित्यिक चोरी का आरोप लग सकता है। मानवीय स्पर्श की कमी: लेखन केवल शब्दों का संकलन नहीं, बल्कि एक कला है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और संवेदनशीलता झलकती है। एआई में इस मानवीय स्पर्श का अभाव होता है। एआई :लेखकों के लिए एक नया अवसर भविष्य में, लेखक समाप्त नहीं होंगे, बल्कि उनकी भूमिका निश्चित रूप से बदलेगी। एआई

विनाश नहीं, बल्कि एक सहकर्मी बनकर उभर सकता है: उत्पादकता में वृद्धि: एआई वर्तनी, व्याकरण की गलतियों को सुधारने, प्रूफरीडिंग करने और विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में मदद करता है, जिससे प्रकाशन प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाती है। विचारों का विकास): एआई लेखकों को नए प्लॉट विचार, विषय-वस्तु और ड्राफ्टिंग में शुरुआती सहायता देकर उनकी रचनात्मकता को बढ़ा सकता है। समय की बचत: रूटीन और तकनीकी लेखन कार्यों को एआई को सौंपकर, लेखक अपना

बहुमूल्य समय मौलिक विचारों, कहानी कहने की कला और भावनाओं की गहराई पर केंद्रित कर सकते हैं।

प्रकाशन उद्योग में लाभ: प्रकाशक एआई का उपयोग किताबों के लेआउट, कवर डिजाइन, और पाठक डेटा विश्लेषण में करके अपनी लागत कम कर रहे हैं और अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं।

एआई की बढ़ती ताकत — और मानव की बौद्धिक चुनौती

एआई आज सेकंडों में लेख, कहानी, सारांश, रिपोर्ट और कविता तक लिखने लगा है। उसकी गति, डेटा-विश्लेषण क्षमता और भाषा-प्रयोग चौंकाते हैं। कई प्रकाशन घराने इसे शुरुआती ड्राफ्ट, रिसर्च और संपादन में उपयोग कर रहे हैं। जाहिर है, इससे लेखन की पारंपरिक दुनिया में दबाव बढ़ा है।

लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यह है—क्या एआई सिर्फ जानकारी जोड़कर मानव-लेखन की जगह ले सकता है? या रचनात्मकता अभी भी मानव की बौद्धिक विशेषता है? रचना सिर्फ शब्द नहीं—अनुभव है सच्चा लेखन सिर्फ तथ्य जोड़ने का काम नहीं, बल्कि अनुभवों की परतें, भावनाओं की गहराई, संघर्षों का सत्य और परिस्थितियों का ताप लेकर आता है। एआई शब्दों का संयोजन कर सकता है, लेकिन वह जीवन नहीं जी सकता।

वह न प्रेम की पीड़ा जानता है, न हार-जीत की जलन, न समाज की अनकही टीस। इसलिए, उसकी लेखन क्षमता तकनीकी हो सकती है— भावनात्मक नहीं। लेखक की भूमिका बदलेगी, खत्म नहीं होगी एआई के युग में लेखक का महत्व समाप्त नहीं होगा, बल्कि उसकी भूमिका नई दिशा में विकसित होगी—

रचनात्मक दिमाग की मांग बढ़ेगी जो एआई से आगे कल्पना कर सके। विचारों का नेतृत्व लेखक करेगा जबकि एआई सिर्फ सहायक बनेगा। मानवीय अनुभव की कीमत और बढ़ेगी क्योंकि वही लेखन को जीवंत बनाता है। एआई-निर्देशित संपादन और शोध से लेखक अधिक दक्ष होगा जिससे गुणवत्ता और बेहतर होगी। एआई एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन उपकरण कभी कारीगर की जगह नहीं ले सकते। खतरा एआई नहीं, मानव की लापरवाही से है यदि लेखक केवल एआई पर निर्भर होने लगे, पढ़ना और अध्ययन छोड़ दें, सोचने की शक्ति को आराम दें— तभी लेखक प्रजाति खतरे में आएगी। एआई की वजह से नहीं, बल्कि स्वयं रचनाकार की सुस्ती से। भविष्य कैसा होगा?

भविष्य मिश्रित होगा— लेखन का प्रारूप जल्दी एआई बनाएगा, लेकिन अंतिम रूप और गहराई मानव देगा। तकनीकी भाषा एआई संभालेगा, लेकिन आत्मा लेखक ही लिखेगा। संक्षेप में, एआई लेखक को खत्म नहीं करेगा; बल्कि लेखक को और बेहतर बनने की चुनौती देगा।

निष्कर्ष: लेखन का भविष्य - 'मानव-केंद्रित' एआई के आगमन से लेखन का भविष्य खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि यह बदल रहा है। लेखक की मौलिक प्रतिभा और मानवीय संवेदनशीलता अभी भी लेखन के केंद्र में बनी रहेगी। लेखक वह कलाकार हैं जो कहानी में आत्मा डालता है। एआई एक उत्कृष्ट उपकरण बन सकता है जो लेखन की प्रक्रिया को आसान बनाएगा, लेकिन वह मानवीय भावनाओं, नैतिक दुविधाओं और व्यक्तिगत अनुभवों की गहराई को समझकर एक अद्वितीय रचना नहीं कर सकता। सफल होने के लिए, लेखकों को एआई को एक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सहायक के रूप में अपनाना होगा। भविष्य के लेखक वे होंगे जो आई टूल का चतुर्दंड से इस्तेमाल करके, अपनी मौलिकता और रचनात्मकता को नए आयाम देंगे।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

# जब इलाज भी बाज़ार बन जाए: भारत में स्वास्थ्य अधिकार की लड़ाई

भारत में बढ़ती निजीकरण प्रवृत्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय की कमी: क्या 'स्वास्थ्य का अधिकार' सच में न्यायालयों में लागू किया जा सकता है? जब उपचार एक सेवा नहीं, बल्कि बाज़ार की वस्तु बन जाए, तब अधिकारों की भाषा कमजोर पड़ जाती है।

- डॉ सत्यवान सौरभ

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा और ढांचा तेजी से बदल रहा है। धिक्रसा प्रसार, जो कभी सार्वजनिक दायित्व और कल्याणकारी राज्य की बुनियादी जिम्मेदारी माना जाता था, अब अधिकाधिक निजी क्षेत्र के हाथों में जाता दिख रहा है। एक ओर, सरकारी स्वास्थ्य ढांचा सीमित बजट, कम मानव संसाधन और कमजोर बुनियादी ढांचे से जुड़ा रहता है; दूसरी ओर, निजी अस्पतालों और कॉन्वेंट मेडिकल वेन की पहुंच और प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। इन दोनों के बीच आम नागरिक, विशेषकर ग्रामीण, आजीवन, दारिद्र्य, आदिवासी, अल्पसंख्यक और शोषित पर रहने वाले समुदाय, स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत और असमान पहुंच के बीच लगे रहते जा रहे हैं। इसी बदलते परिदृश्य में, भारत में यह बहस और तर्क तो गई है कि क्या स्वास्थ्य को एक व्यावसायिक और लाभ केंद्रित व्यवसाय माना जा सकता है और स्वास्थ्य अधिकार को एक व्यावसायिक अधिकार बनाया जा सकता है। क्या व्यावसायिकता इस अधिकार को enforce करा सकती है, जब व्यवस्था ही बुनियादी रूप से असमान, भ्रष्टाचार और निजीकरण-प्रधान हो चुकी हो? यह प्रश्न केवल कानूनी नहीं है; यह गहराई से राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है। क्योंकि अधिकार तभी सार्थक होता है जब राज्य उसे प्रदान करने की सामर्थ्य और इच्छा दोनों रखता हो।

भारत में स्वास्थ्य का अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यावसायिक द्वारा मान्यता प्राप्त है, पर उसे अभी तक स्पष्ट रूप से एक स्वतंत्र मौलिक अधिकार नहीं बनाया गया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि राज्य अभी तक ऐसी बाध्यकारी जिम्मेदारियाँ स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है जिसमें दर नागरिक को समान, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि जब तक इसे एक 'फोर्सेबल राइट' नहीं बनाया जाएगा, जब तक असमानता, शोषण और भ्रष्टाचार शुरू करके नहीं हटाया जा सकता है, तब स्वास्थ्य अधिकार का अर्थ ही अधिकाधिक निजी क्षेत्र बनता है।

निजीकरण के विस्तार का दूसरा परल यह है कि यह केवल स्वास्थ्य सुविधाओं के संभालन तक सीमित नहीं है; यह स्वास्थ्य नीति, दवाओं की कीमतों, बीमा योजनाओं और सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) की दिशा को भी प्रभावित कर रहा है। जब स्वास्थ्य एक लाभ आणित उद्योग बन जाता है, तब उपचार की प्रकृति, लागत, पहुंच और गुणवत्ता सभी बाजार के नियमों के अधीन हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य का अधिकार कामच पर तो हो सकता है, पर धरातल पर वह व्यापक रूप से लागू नहीं हो पाता।



एक ओर गंभीर समस्या है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक, 2010 का कर्मजोब क्रियाव्यवस्था। जिन राश्यों में यह लागू थी है, वहीं भी नियमन और पारदर्शिता बेहद कमजोर है। मरीजों से मनमाना शुल्क, अनावश्यक जांचों की सलाह, कृत्रिम पैकेज, और अत्याधिक दवाएं पर संभरी जैसे गूदे-आत बने हुए हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मरीजों की ओर से शिकायत या व्याय जाने को व्यवस्था बेहद कमजोर और प्रभावी है।

एक ओर गंभीर समस्या है क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक, 2010 का कर्मजोब क्रियाव्यवस्था। जिन राश्यों में यह लागू थी है, वहीं भी नियमन और पारदर्शिता बेहद कमजोर है। मरीजों से मनमाना शुल्क, अनावश्यक जांचों की सलाह, कृत्रिम पैकेज, और अत्याधिक दवाएं पर संभरी जैसे गूदे-आत बने हुए हैं। यह स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब मरीजों की ओर से शिकायत या व्याय जाने को व्यवस्था बेहद कमजोर और प्रभावी है।

दवाएँ अभी भी मूल्य विचित्रण से बाहर हैं। जब तक आवश्यक दवाओं पर सख्त मूल्य नियंत्रण नहीं होगा तथा जनश्रेष्ठि प्रणाली का विस्तार नहीं होगा, ग्रामीण और मध्यमवर्गीय परिवार मरने की दवाओं के भार तले दबते रहेंगे। साथ ही, स्वास्थ्य कर्मियों की स्थितियों भी इस संकट का एक महत्वपूर्ण पहलू है। अस्थायी नियुक्तियों, कम वेतन, कार्यभार का दबाव और असुरक्षित कार्य वातावरण—ये सभी कारक धिक्रसा सेवा को गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा तभी संभव है जब सरकार मानव संसाधनों में प्रतिव निवेश करे।

इन सभी परिस्थितियों में, स्वास्थ्य का अधिकार तभी वास्तविक रूप से लागू हो सकता है, जब शासन संरचना अधिक पारदर्शी, विकेंद्रीकृत और जवाबदेह बने। समुदाय आधारित निगरानी तंत्र, जिला स्वास्थ्य समितियों की मजबूती, डिजिटल पारदर्शिता, और शिकायत निवारण के प्रभावी तंत्र यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि नागरिक अपने अधिकारों का दावा कर सकें और शासन उन्हें जवाब देने के लिए बाध्य रहे। नीतिगत परिवर्तन के साथ-साथ राजनीतिक इच्छाशक्ति भी आवश्यक है। स्वास्थ्य प्रणाली में सुधार तभी अर्थी का कार्य है, परंतु इसकी शुरुआत तत्काल बजट बढ़ाने, निजी अस्पतालों को सख्त नियामक दायरे में लाने, दवाओं की कीमतों नियंत्रित करने, तथा प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने से हो सकती है। यह व केवल स्वास्थ्य क्षेत्र को अधिक व्यावसायिक बनाकर बल्कि मूल्य विचित्रण के लिए स्वस्थ और उत्पादक समाज की नींव भी रखेगा।

अंततः, स्वास्थ्य को व्याधिक रूप से लागू करने योग्य बनाना भारत के संवैधानिक दर्शन—विशेषकर सामाजिक व्याय—की पुनर्निर्देश लेना। लेकिन यह तभी संभव है जब सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी मजबूत हो कि वह इस अधिकार को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने में सक्षम हो। यदि राज्य की प्राथमिकताएँ स्वास्थ्य सुख की बजाय बाजार आधारित मॉडल को बढ़ावा देने में लगी रहेंगी, तो 'अधिकार' शब्द अर्थी प्रासंगिकता खो देगा और नागरिकों की पीड़ा बढ़ती जाएगी। भारत को आज यह स्वीकार करना चाहिए कि स्वास्थ्य केवल आर्थिक विकास का फल नहीं, बल्कि मानव गरिमा की बुनियाद है। और जब तक यह बुनियाद, जो समाज रूप से मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक स्वास्थ्य का अधिकार कामच पर तो रहेगा, पर ज़रूत का जीवन नहीं है।

## स्लाइट में खाद्य नवाचार, खाद्य एलर्जी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन

लोगोवाल, 12 दिसंबर (जगसीर सिंह)-

"खाद्य नवाचार, खाद्य एलर्जी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों" विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज संत लोगोवाल इंस्टीट्यूट के जे. सी. बोस हॉल में बड़े उत्साह के साथ उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह की शुरुआत पारंपरिक दीप प्रज्वलन और वंदे मातरम से हुई, जो एक ज्ञानवर्धक शैक्षणिक और वैज्ञानिक यात्रा के आरंभ का प्रतीक है। सभागार जीवंत ऊर्जा से भर गया क्योंकि गणमान्य व्यक्ति, शोधकर्ता, संकाय सदस्य, छात्र, आमंत्रित प्रतिनिधि, सम्मेलन के प्रतिभागी (ऑनलाइन और ऑफलाइन) और प्रायोजक इस महत्वपूर्ण सम्मेलन के प्रारंभ के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए।

अपने स्वागत भाषण में, सम्मेलन के अध्यक्ष प्रो. कनवेश प्रसाद ने 'खाद्य नवाचार, खाद्य एलर्जी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों' (एफ. आई. एफ. ए. टी. एफ -2025) शीर्षक वाले सम्मेलन के आयोजन के पीछे की अवधारणाओं और उद्देश्यों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने सम्मेलन से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार सदस्यों, आयोजन दल, मुख्य वक्ता, आमंत्रित वक्ताओं, सम्मेलन के प्रायोजकों, सम्मेलन की सफलता के लिए संदेश भेजने वाले प्रतिष्ठित अधिकारियों, सम्मेलन में अखिल भारतीय भागीदारी, सम्मेलन में शामिल विभिन्न विषयों और सामानांतर मौखिक एवं पोस्टर सत्रों में प्रस्तुत किए जाने वाले संबंधित शोध पत्रों के बारे में जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने आई. आर. आई. एम. एस. पोर्टल पर शोध उद्घरणों के माध्यम से संस्थान की छवि में सुधार लाने के लिए संस्थान स्तर पर की जा रही आई. क्यू. ए. सी. की कार्यवाहियों के बारे में भी बताया। प्रोफेसर प्रसाद ने अत्यंत उत्साह के साथ सूचित किया है कि भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह जी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के निदेशक डॉ. गिरिधर पर्वतम, कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं सूचन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हरिंदर सिंह ओबेरॉय, दिल्ली स्थित भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति से आभार वंदे संदेश के रूप में प्राप्त हुए। इस सम्मेलन में भारत के 22 राज्यों के 57 प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन की सफलता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रायोजकों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया।

खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर चरणजीत सिंह रियार ने विभाग और खाद्य प्रौद्योगिकी के अगले स्तर तक ले जाने के लिए कहा जा रहे प्रयासों को बल में श्रोताओं को जानकारी दी, साथ ही सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के प्रयासों से भी अनगत कराया। सम्मेलन के संरक्षक, प्रोफेसर



हरीश कुमार शर्मा ने खाद्य अनुसंधान के महत्व और राष्ट्र निर्माण में सरकार की भूमिका पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि, प्रोफेसर कौशल किशोर प्रसाद, गैस्टोएंटरोलॉजी सुपर स्पेशियलिटी विभाग, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ ने जानकारी दी कि सौलिक सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी, भारत सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के माननीय राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह जी, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद - केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर के निदेशक डॉ. गिरिधर पर्वतम, कुंडली स्थित राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं सूचन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर हरिंदर सिंह ओबेरॉय, दिल्ली स्थित भारतीय पैकेजिंग संस्थान के निदेशक और बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के कुलपति से आभार वंदे संदेश के रूप में प्राप्त हुए। इस सम्मेलन में भारत के 22 राज्यों के 57 प्रतिष्ठित संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 200 प्रतिभागियों ने भाग लिया। सम्मेलन की सफलता में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रायोजकों को कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया गया।

खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रमुख, प्रोफेसर चरणजीत सिंह रियार ने विभाग और खाद्य प्रौद्योगिकी के अगले स्तर तक ले जाने के लिए कहा जा रहे प्रयासों को बल में श्रोताओं को जानकारी दी, साथ ही सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए अध्यक्ष के प्रयासों से भी अनगत कराया। सम्मेलन के संरक्षक, प्रोफेसर

इस अवसर पर "खाद्य नवाचार, खाद्य एलर्जी और पारंपरिक खाद्य पदार्थों" (एफ. आई. एफ. ए. टी. एफ -2025), राष्ट्रीय सम्मेलन सार संग्रह

## मुख्यमंत्री की टिप्पणी से नाराज आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन की धमकी दी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : ओडिशा में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने डेटा प्राइवसी ब्रीच के खतरे पर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की टिप्पणियों का कड़ा विरोध किया है। 'ओडिशा गवर्नमेंट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉइज एसोसिएशन' ने इस मुद्दे पर आंदोलन शुरू करने की धमकी दी है। गुरुवार को राजधानी में एक इवेंट में मुख्यमंत्री ने पिछली बीजू जनता दल (BJD) सरकार की आलोचना की कि वह सिस्टम चलाने के लिए आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए स्टाफ पर निर्भर है। उन्होंने कहा, 'आउटसोर्सिंग या कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी बजट के इस्तेमाल पर कोई फैसला नहीं ले सकते। इसके अलावा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी के उल्लंघन का भी खतरा है।'

मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने गहरी नाराजगी जताई है। यूनियन ने कहा कि वे पिछले 15-20 सालों से पूरी इमानदारी और निष्ठा के साथ अलग-अलग विभागों में सेवाएं दे रहे हैं।



यूनियन ने कहा, 'हम रेगुलर नहीं होने के बावजूद सरकारी सेवाएं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री को सरकारी डेटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर अपने बयान पर सफाई देनी चाहिए। नहीं तो, हम इस मुद्दे पर विरोध करने के लिए मजबूर होंगे।' यूनियन ने यह भी कहा कि 'जब माझी सामंत

विपक्षी पार्टी के MLA थे, तो वह हमारी जायज मांगों का समर्थन करते थे। लेकिन ओडिशा के मुख्यमंत्री बनने के बाद, वह हमारी मांगों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। अब डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर उनकी टिप्पणियों से हमें बहुत दुख हुआ है।'

## भूबनेश्वर में शर्मसार: 11 साल की बच्ची को रेप हुआ, आरोपी भागा

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर: राजधानी में शर्मसार। 11 साल की नाबालिग से रेप का आरोप। शिकायत मिलने के बाद महिला थाने ने केस दर्ज कर रेपिस्ट को गिरफ्तार करने के लिए तलाश शुरू कर दी है। गंजम जलाके की एक नाबालिग लड़की अपने

माता-पिता के साथ भूबनेश्वर में रहती है। सबसे पहले, 4 तारीख को, इलाके के एक शराब दुकानदार ने नाबालिग लड़की को अकेला पाकर उसके साथ रेप करने की कोशिश की। इसके बाद नाबालिग लड़की चिल्लाई और भाग गई। बुधवार को नाबालिग लड़की के घर पर अकेले होने का फायदा उठाकर उसने फिर

से उसके साथ जबरदस्ती रेप किया। उसने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और फिर भाग गया। लड़की के माता-पिता को जब सब पता चला तो महिला ने पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया। पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।

## दो पुस्तकों का विमोचन हुआ

इटारसी मध्यप्रदेश

जिसमें एक थी, 'करें बात पर गौर' कुंडलियां संग्रह और दूसरी 'नर्मदांचल के मोती' साझा संकलन। नर्मदांचल के मोती साझा काव्य संग्रह की समीक्षा शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इटारसी से सेवानिवृत्त प्राचार्य आदरणीय अखिलेश शुक्ल जी ने जैसा मंच पर कहा, वही यहाँ प्रस्तुत है।

\*समीक्षा.....\*


मानव मन की अभिव्यक्ति का संग्रह नर्मदांचल के मोती, मित्रों, आज मुझे संपादक श्री रूपेन्द्र गौर द्वारा संपादित काव्य संग्रह नर्मदांचल के मोती पर अपने विचार व्यक्त करने का आदेश मिला है। यह मेरा सौभाग्य है कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि श्री बृज किशोर पटेल जी ने मुझे इस पुनीत कार्य को करने का अवसर प्रदान किया। सम्माननीय मित्रों, विदेशी साहित्यकारों ने कविता को आत्मा की अभिव्यक्ति, कल्पना का माध्यम, मानवीय अनुभवों का दर्पण और सामाजिक बदलाव का हथियार माना है; जहाँ वडुसर्वथ और कॉलरिज ने भाव और कल्पना पर जोर दिया, वहीं टी.एस. एलियट ने शिल्प और परंपरा की बात की, और पोस्ट-कॉलोनियल कवि जैसे एडवर्ड सैड ने पहचान व प्रतिरोध के लिए कविता का उपयोग किया, जो कविता को केवल सौंदर्य नहीं बल्कि जीवन के गहरे अर्थों और संघर्षों से जोड़ते हैं।

काव्य संग्रह नर्मदांचल के मोती में जीवन के गहरे अर्थ एवं संघर्ष को झलक दिखाई देती है। जैसा की प्रसिद्ध लेखक एवं रचनाकार डॉ. कश्मीर सिंह उषल जी ने अपने संदेश में लिखा है, समाज में जितनी अधिक कविता लिखी पढ़ी और बोली जायेगी, हमारा समाज उतना ही मानवीय होगा। यह मानवीयता जीवन के गहरे अर्थ एवं संघर्षों से होकर गुजरती है। जिससे इस काव्य संग्रह में महसूस किया जा सकता है।

साथियों हम यह नहीं कह सकते कि कविता का अर्थ केवल इतना ही है। कविता मानव की अंतर्मन की गहराई में जाकर सोचने के लिये विवश करती है। जिससे समाज अपने मूल्य निर्धारित करता है। प्रसिद्ध कवि एवं रचनाकार श्री गिरिमोहन गुरु जी ने भी माना है कि नर्मदांचल जिले के छोटे से ग्राम मिसरोल में निवास करने वाले श्री रूपेन्द्र गौर ने एक सन्तहीय कार्य किया है। संपादक श्री रूपेन्द्र गौर ने अपनी संपादकीय में लिखा है कि यह संग्रह साहित्य के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, यह सच है कि संग्रह के रचनाकार नये अवश्य हैं लेकिन उनकी कविताओं का केन्द्रीय भाव नया नहीं है।

आइये अब कविता संग्रह की कविताओं पर विचार करते हैं। काव्य संग्रह में 53 कवियों की कविताएँ हैं। संग्रह की कविताएँ किसी विचारधारा अथवा मान्यता का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। जहाँ संग्रह में छंद मुक्त कविताएँ हैं तो वहीं दूसरी ओर कुछ निधारित मूल्यों एवं मान्यताओं को सामने लाने वाली रचनाएँ भी हैं।

श्री राम किशोर नाविक की लिखते हैं, 'ना ऐसा लिख ना वैसा लिख, जीवन का सत्य हमेशा लिख। यह बात बिलकुल सही है कि आज हम दिखाने में जी रहे हैं। आठवें हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। उस स्थिति में जीवन के बारे में सत्य लिखना और सच बोलना कितना जरूरी है? यह सच कविता से ज्ञात होता है। इस बात को आगे बढ़ाते हुये श्री विनय चौरों लिखते हैं? बहुत बरेखी के बाद भी कुछ नमी सी थी, रिश्ते टूटने वाले ही थे, सही कमी सी थी। रिश्ते सत्य पर टूटते कने हैं। यदि सत्य ना हो तो वह टूटने लगते हैं। उनकी तीनों गजलें प्रभावित करती हैं। वहीं दूसरी ओर प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कवि श्री बृज किशोर पटेल लिखते हैं, कभी बरसते



आषाढ में डूबे रहे, कभी अकाल की आड़ में डूबे रहे। वे टहलकर आ गये डल झील से, हम कंटोले झाड़ में डूबे रहें। गजल आम आदमी की स्थिति की तुलना उस अधिजात्य वर्ग से करती है, जिसने भोग खिलास को अपने जीवन का अधिन अंग बना लिया है। दोनों गजलें मानव जीवन से जुड़ी हैं जो अपनी प्रत्येक पंक्ति में कुछ ना कुछ संदेश देती है। कवि श्री बृजेश त्रिवेदी की रचनाएं धार्मिक होते हुये भी राष्ट्रीयता की भावनाओं से ओत प्रोत हैं। वरिष्ठ पत्रकार एवं कवि श्री मोहन झलिया सत्य को बचपन में खोजते दिखाई पड़ते हैं। जिसमें उछल कूद, हंसी ठिठोली से लेकर जीवन का सुख चैन छिपा हुआ है। उनकी दोनों रचनाएं प्रभावित करती हैं। श्री मदन तनवाई की तीनों गजलें उर्दू के शब्दों से भरपूर हैं। यह प्रयोग विषय वस्तु को अच्छी तरह से समझने में सहायक है। निगाहों को निगाहों से मिलाना किसको आता है, मुहब्बत को सलीके से जताना किसको आता है। आजकल मोहब्बत के नाम पर जो बचपन चल रहा है, उसे गजल सही ढंग से प्रस्तुत करती है। श्री राम वल्लभ गुप्त इन्दोरी की रचनाएं आतंकवादी और आवारा कुत्ते तथा हार नहीं मानूंगा यार, दो अलग अलग तरह की कविताएँ हैं। जिसमें आधुनिक परिस्थितियों को कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। इसी तरह का भाव हमें डॉ. अशोक के. सिंह की कविताओं आपसी मतभेद एवं मैं तो आजाद हूँ मैं दिखाई पड़ता है। सुशील कल्पना साहू की कविताएँ जिंदगी आसान नहीं होती एवं वह कुछ किरदार भी आज के समाज की बेचनी एवं कसमसाहट दर्शाती हैं। श्री सुभाष सिटोके की कविताएँ मनुष्यता की पुकार एवं जो किया महसूस, मैं देह एवं मन के बीच बेचनी के बाद परिवर्तन की आहट सुनाई देती है। श्री रामेश्वर मेहर लिखते हैं, दो दिन की हैं जिंदगी, खुल के जी जाना है। यादें रहेगी बस जिंदा, छाप छोड़ जाना है। कविता मनुष्य के जगत में अच्छी रचनाएं देगी, मैं यह उम्मीद करता हूँ। अंत में नर्मदांचल के मोती जैसी पत्रिका के प्रकाशकों में श्री रूपेन्द्र गौर एवं उनकी समस्त सहयोगी बधाई के पात्र हैं। कविता लिखना और कविता को समाज के सामने लाना दोनों कार्य अथक परिश्रम की मांग करते हैं। यह परिश्रम पत्रिका में दिखाई पड़ता है। उम्मीद की जाना चाहिये कि भविष्य में हमें कविता के साथ साथ अच्छी रचनाएँ भी पढ़ने के लिये मिलेंगी?

प्रेषक

समीक्षक सेवानिवृत्त शिक्षाविद - अखिलेश शुक्ला इटारसी

